

प्रेषक

मुकुल सिंहल,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,  
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,  
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 12 फरवरी, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश हैण्डलूम पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल, एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 में अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं का क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश हैण्डलूम पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल, एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 में अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जायेगा :-

उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं पूंजी निवेश को आकर्षित करने, तथा अधिकाधिक रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश हैण्डलूम पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल, एवं गारमेन्टिंग पालिसी- 2017 अधिसूचना संख्या-236/63व0उ0-2018-155(एच)/2017 दिनांक 25.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित की गयी है। प्रदेश में स्थापित होने वाली वस्त्र उद्योग इकाईयों को उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी 2017 के अन्तर्गत सभी वित्तीय सुविधायें एवं उपादान योजनाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

यह योजना औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 की अधिसूचना जारी होने की तिथि 13 जुलाई 2017 से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्रियान्वयन, निर्णय एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत् है:-

1	योजना का शीर्षक	उत्तर प्रदेश हैण्डलूम पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल, एवं गारमेन्टिंग पालिसी- 2017 की क्रियान्वयन योजना
2	योजना की अवधि	13.07.2017 से 5 वर्षों की अवधि तक अथवा नीति के संशोधित होने तक प्रभावी रहेगी।
3	योजना का कार्यक्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रदेश के आंचलिक क्षेत्रवार (पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल) निर्धारित सीमा के अन्तर्गत वित्तीय सुविधायें देय हैं।</li> <li>सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ( नीति में वर्णित कुछ वित्तीय सुविधायें जनपद विशेष (जी0बी0नगर) में देय नहीं है।)</li> </ul>
4	योजना के परिचालन हेतु प्राधिकृत संस्था	<ul style="list-style-type: none"> <li>हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय ( रेशम उद्योग से सम्बन्धित इकाईयों को छोड़कर)</li> <li>रेशम उद्योग निदेशालय ( रेशम उद्योग इकाईयों हेतु)</li> </ul>
5	योजना के संचालन हेतु अधिकृत सहयोगी संस्था	परियोजना प्रबन्धक एजेन्सी (Project Management Agency) (P.M.A.) ( शासन के परामर्श के आधार पर चयनित संस्था )

92

	<p>योजना के घटक</p>	<p>योजना में वर्णित वित्तीय सुविधायें योजना के घटक के रूप में जानी जायेंगी। योजना के घटक निम्नलिखित है :-</p>
<p>6.1</p>	<p>सरकारी एजेन्सियों द्वारा भूमि आवंटन में सब्सिडी</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सरकारी एजेन्सियों यथा-यू.पी.एस.आई.डी.सी., सीडा, लीडा एवं अन्य विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में टेक्सटाइल यूनिटों के लिये, इन संस्थाओं से प्रत्यक्षतः भूमि क्य करने पर निवेशकों को भूमि की कीमत की 50 प्रतिशत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति देय होगी।</li> <li>• गौतमबुद्ध नगर जनपद में यह सब्सिडी 30 प्रतिशत देय होगी।</li> <li>• यह सब्सिडी कुल परियोजना लागत की 5 प्रतिशत तक सीमित होगी।</li> </ul> <p>शर्त/प्रतिबन्ध :- यह प्रतिपूर्ति तब की जायेगी, जब इकाई भूमि क्य के पाँच वर्षों के अन्दर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर देती है।</p>
<p>6.2</p>	<p>स्टाम्प ड्यूटी में छूट</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• गौतमबुद्ध नगर जनपद को छोड़कर शेष 30 प्र0 में स्थापित होने वाले वस्त्रोद्योग से सम्बन्धित इकाईयों को स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट</li> <li>• गौतमबुद्ध नगर जनपद में स्थापित होने वाले वस्त्रोद्योग से सम्बन्धित इकाईयों को स्टाम्प शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करायी जायेगी।</li> <li>• रेशम चाकी/कोया उत्पादन/धागाकरण इकाईयों को सम्पूर्ण प्रदेश में 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट उपलब्ध कराई जायेगी।</li> <li>• पूरे प्रदेश में वस्त्र उद्योग सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं के विकास (यथा-एकीकृत ट्रान्सपोर्ट व व्यवसायिक केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, वेयरहाऊस, जल आपूर्ति, जल निकासी, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट, एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना) हेतु भूमि के क्य पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जायेगी।</li> <li>• राज्य में (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) टेक्सटाइल पार्कों/आस्थानों के विकासकर्ता को भूमि के क्य पर 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट अनुमत्य होगी।</li> <li>• निजी/संयुक्त क्षेत्र एस.पी.सी. द्वारा स्थापित वस्त्र पार्क में प्रत्येक भूमि के प्रथम खरीदार को 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट उपलब्ध करायी जायेगी।</li> <li>• सम्पूर्ण प्रदेश में स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डारमेटरी के विकास हेतु क्य की गई भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।</li> <li>• स्टाम्प ड्यूटी में छूट की गणना भूमि क्य करने की तिथि को प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार आगणित की जायेगी, जो उपरोक्त सभी प्रकार की भूमि पर लागू होगी तथा उपरोक्त समस्त छूट स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।</li> <li>• UPFC/PICUP/बैंकों द्वारा वित्त पोषित बन्द पड़ी इकाईयों को बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना सर्किल दर के स्थान पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कीमत पर की जायेगी।</li> <li>• परेन्ट कम्पनी द्वारा अपनी ऐसी सब्सिडियरी कम्पनी, जिसमें परेन्ट का अंशदान 90 प्रतिशत से अधिक है, को भूमि स्थानान्तरण पर स्टैम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।</li> </ul>
<p>6.3</p>	<p>राज्य कर विभाग से छूट</p>	<p>राज्य को प्राप्त नेट जी0एस0टी00 अंश की प्रतिपूर्ति स्थायी पूँजी निवेश (भूमि, भवन, अन्य निर्माण, प्लान्ट एवं मशीनरी) का 25 प्रतिशत की अधिकतम वार्षिक सीमा तक अथवा वास्तविक वार्षिक कर जमा, जो भी कम हो, 10 वर्षों तक प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जायेगी :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• समस्त उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु 90 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी।</li> <li>• वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित इकाईयां, जो एम.एस.एम.ई. नहीं हैं, को निम्नानुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी :-</li> </ul> <p>i. पूर्वान्वल एवं बुन्देलखण्ड में 90 प्रतिशत</p>

		<p>ii. मध्यान्चल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर जनपद को छोड़कर) में 75 प्रतिशत</p> <p>iii. गौतमबुद्धनगर जनपद में 60 प्रतिशत की, की जायेगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रदेश में वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित मेगा एवं सुपर मेगा श्रेणी के उद्योगों हेतु 80 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी।</li> </ul>																								
6.4	अवस्थापना उपादान	<p>ब्याज</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>वस्त्र उद्योग इकाईयों को उनके द्वारा उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, सीवर, इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट, जल निकासी, पावर लाईन, ट्रान्सफार्मर एवं पावर फीडर की स्थापना इत्यादि के विकास हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर उपादान प्रतिपूर्ति के रूप में देय होगा।</li> <li>प्रतिपूर्ति 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 05 वर्षों तक, प्रति इकाई कुल ₹ 1 करोड़ की सीमा तक देय होगी।</li> </ul>																								
6.5	पूँजीगत उपादान	<ul style="list-style-type: none"> <li>वस्त्र उद्योग और गारमेन्टिंग इकाई को प्लांट एवं मशीनरी (TUFs में वर्णित प्लांट एवं मशीनरी) हेतु 25 प्रतिशत पूँजीगत उपादान की प्रतिपूर्ति निम्न सीमा के अनुसार की जायेगी-</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>लागत की श्रेणी</th> <th>प्रोजेक्ट लागत (करोड़ ₹ में)</th> <th>अथवा न्यूनतम रोजगार सीमा</th> <th>उपादान की सीमा (करोड़ ₹ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रथम</td> <td>≤10</td> <td>50</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>द्वितीय</td> <td>&gt;10 but ≤50</td> <td>200</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>तृतीय</td> <td>&gt;50 but ≤100</td> <td>300</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>चतुर्थ</td> <td>&gt;100 but ≤200</td> <td>500</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>पंचम</td> <td>&gt;200</td> <td>1000</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>₹ 01 करोड़ या अधिक पूँजी निवेश करने वाली रेशम रीलिंग इकाईयों को 20 प्रतिशत पूँजीगत उपादान दिया जायेगा, यह उपादान भारत सरकार की संस्थाओं यथा सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड द्वारा दी जा रही सुविधा के अतिरिक्त होगा।</li> <li>पूँजीगत उपादान की धनराशि सीधे इकाई के प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिये गये टर्म लोन के खाते में सम्बन्धित बैंक शाखा को स्थानान्तरित की जायेगी। इससे इकाई को देय ब्याज का भार कम होगा।</li> </ul>	लागत की श्रेणी	प्रोजेक्ट लागत (करोड़ ₹ में)	अथवा न्यूनतम रोजगार सीमा	उपादान की सीमा (करोड़ ₹ में)	प्रथम	≤10	50	2	द्वितीय	>10 but ≤50	200	10	तृतीय	>50 but ≤100	300	20	चतुर्थ	>100 but ≤200	500	40	पंचम	>200	1000	100
लागत की श्रेणी	प्रोजेक्ट लागत (करोड़ ₹ में)	अथवा न्यूनतम रोजगार सीमा	उपादान की सीमा (करोड़ ₹ में)																							
प्रथम	≤10	50	2																							
द्वितीय	>10 but ≤50	200	10																							
तृतीय	>50 but ≤100	300	20																							
चतुर्थ	>100 but ≤200	500	40																							
पंचम	>200	1000	100																							
6.6	मार्जिन मनी अनुदान	<p>रेशम उद्योग (चाकी कीट पालन, कोया उत्पादन, रीलिंग एवं स्पिनिंग) को प्रोत्साहन देने हेतु अधिकतम ₹ 1.00 करोड़ तक पूँजी निवेश करने वाली इकाईयों को राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण पर 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जायेगा, जिसकी गणना बैंक द्वारा आगणित परियोजना लागत पर की जायेगी। अनुसूचित जाति/जन जाति के उद्यमियों को 20 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जायेगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रदत्त सब्सिडी भारत सरकार/या सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड की योजना में राज्य सरकार के अंश के अतिरिक्त होगा।</li> </ul>																								
6.7	ब्याज उपादान योजना	<ul style="list-style-type: none"> <li>वस्त्र उद्योग इकाईयों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा TUFs पात्रता वाली प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत उपादान अधिकतम 07 वर्षों तक देय है।</li> <li>गौतमबुद्धनगर जनपद को छोड़कर पूरे प्रदेश में प्रति वर्ष प्रति इकाई अधिकतम ₹ 1.5 करोड़ तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी।</li> <li>यह सीमा गौतमबुद्धनगर जनपद के लिए प्रतिवर्ष ₹ 75 लाख होगी।</li> </ul>																								
6.8	कार्यशील पूँजी सब्सिडी	<ul style="list-style-type: none"> <li>रेशम रीलिंग इकाईयों, जो प्रदेश में उत्पादित कोये से न्यूनतम 75 प्रतिशत धागा उत्पादन करती हैं, उन्हें वर्किंग कैपिटल ऋण पर 5 वर्षों तक 5 प्रतिशत की दर से ब्याज उपादान दिया जायेगा।</li> <li>इसकी अधिकतम सीमा ₹ 50 हजार प्रति इकाई प्रतिवर्ष होगी।</li> <li>प्रदेश में उत्पादित कोये से न्यूनतम 75 प्रतिशत धागा उत्पादन के प्रमाणीकरण हेतु रेशम रीलिंग इकाई को कोया खरीद एवं उत्पादन समरी शीट/चार्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।</li> </ul>																								
6.9	ई०पी०एफ० प्रतिपूर्ति	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 अथवा उससे अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाली सभी नई वस्त्रोद्योग इकाईयों को नियोक्ता के अंश के 50 प्रतिशत की दर से ई०पी०एफ० प्रतिपूर्ति की सुविधा 5 वर्षों तक प्रदान की जायेगी। इसके लिए श्रमिक को <b>Employee Provident Fund Scheme</b></li> </ul>																								

		<p><b>Reforms/ प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से आच्छादित नहीं होना चाहिए।</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>200 से अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाली इकाईयों को नियोक्ता के अंश का 60 प्रतिशत की दर से ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति की सुविधा 5 वर्षों तक दी जायेगी। इसके लिए श्रमिक को <b>Employee Provident Fund Scheme Reforms/प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से आच्छादित नहीं होना चाहिए।</b></li> <li>गारमेन्ट/परिधान सेक्टर की ऐसी इकाईयाँ, जो भारत सरकार की <b>Employee Provident Fund Scheme Reforms/प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना</b> के अन्तर्गत ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित वित्तीय सहायता की सुविधा 3 वर्षों तक प्राप्त करती हैं। उन इकाईयों को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 2 वर्षों के लिये यह सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी।</li> </ul>												
6.10	माल-भाड़े की प्रतिपूर्ति	<ul style="list-style-type: none"> <li>गारमेन्ट के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये इकाई से एयर पोर्ट/सी-पोर्ट तक माल-भाड़े पर 25 से 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार प्रदान की जायेगी :-             <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">i.</td> <td style="padding-right: 20px;">प्रथम दो वर्षों तक</td> <td style="padding-right: 20px;">-</td> <td>75 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>ii.</td> <td>अगले दो वर्ष तक</td> <td>-</td> <td>50 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>iii.</td> <td>पांचवें वर्ष में</td> <td>-</td> <td>25 प्रतिशत</td> </tr> </table> </li> <li>माल भाड़ा का आगणन इकाई से पोर्ट (एयर पोर्ट एवं सी-पोर्ट) तक न्यूनतम दूरी का रेलवे द्वारा निर्धारित माल भाड़े की दर से किया जायेगा। तदनुसार आगणित माल भाड़े पर देय प्रतिशत के अनुसार प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।</li> </ul>	i.	प्रथम दो वर्षों तक	-	75 प्रतिशत	ii.	अगले दो वर्ष तक	-	50 प्रतिशत	iii.	पांचवें वर्ष में	-	25 प्रतिशत
i.	प्रथम दो वर्षों तक	-	75 प्रतिशत											
ii.	अगले दो वर्ष तक	-	50 प्रतिशत											
iii.	पांचवें वर्ष में	-	25 प्रतिशत											
6.11	मेगा एवं सुपर मेगा इकाईयों को रोजगार सृजन अनुदान	<ul style="list-style-type: none"> <li>मेगा और सुपर मेगा गारमेन्टिंग इकाईयों को प्रति माह प्रति श्रमिक रु0 3200 रोजगार सृजन अनुदान प्रदान किया जायेगा। यह अनुदान 15,000 सिलाई मशीनों की कुल क्षमता मेगा एवं सुपर मेगा इकाईयों में सृजित होने तक प्रदान की जायेगी।</li> </ul>												
6.12	ऊर्जा सम्बन्धी प्राविधान	<ul style="list-style-type: none"> <li>नई इकाईयों को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष तक 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।</li> <li>कैप्टिव पावर प्लांट द्वारा उत्पादित एवं स्वयं प्रयोग की जाने वाली विद्युत को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी से 10 वर्ष तक मुक्त रखा जायेगा।</li> <li>वस्त्र उद्योग संकुलों एवं पार्कों तथा एक निर्धारित मात्रा से अधिक विद्युत उपयोग करने वाली इकाईयों को विद्युत प्राप्ति हेतु <b>Open Access</b> की अनुमति <b>Electricity Act-2003</b> के अनुसार प्रदान की जाएगी।</li> </ul> <p>उपरोक्त छूट प्रदान करने हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया जायेगा।</p>												
6.13	मण्डी शुल्क में छूट	<ul style="list-style-type: none"> <li>सभी वस्त्र उद्योग इकाईयों को कच्चा माल खरीदने पर मण्डी शुल्क में 05 वर्ष तक छूट प्रदान की जायेगी।</li> <li>इस हेतु कृषि विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया जायेगा।</li> </ul>												
6.14	प्लग एण्ड प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर	<ul style="list-style-type: none"> <li>एक निश्चित लोकेशन के लिये गारमेन्ट सेक्टर के उद्यमी द्वारा सहमति पत्र (एम0ओ0यू0) भरने के पश्चात राज्य सरकार की एजेन्सी द्वारा प्लग एण्ड प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जायेगा।</li> </ul>												
6.15	कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फिलिंग	<ul style="list-style-type: none"> <li>टेक्सटाइल सेक्टर में कुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हेतु भारत सरकार की <b>“Integrated Skill Development Scheme for the Textiles and Apparel Sector Including Jute and Handicrafts”</b> योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक औद्योगिक एसोसिएशन एवं एन0जी0ओ0 को जोड़ा जाएगा। आवश्यकतानुसार गैप फिलिंग के आधार पर राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से निर्धारित प्रोजेक्ट कास्ट का अधिकतम 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इस क्षेत्र की इकाईयों/संस्थाओं को अपनी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने के लिये प्रेरित जायेगा।</li> </ul>												

6.16	मेगा एवं सुपर मेगा इकाइयों को सुविधायें	<p>ऐसी इकाइयों की परिभाषा निम्न प्रकार होगी :-</p> <table border="1" data-bbox="241 39 743 973"> <thead> <tr> <th rowspan="2">उद्योग का प्रकार</th> <th colspan="2">श्रेणी सम्बन्धी मानदण्ड</th> </tr> <tr> <th>बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में</th> <th>प्रदेश के अन्य भागों में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मेगा यूनिट</td> <td>निवेश : ₹0 50 करोड़ से 75 करोड़ तक अथवा रोजगार : न्यूनतम 500 (गारमैन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1000 )</td> <td>निवेश : ₹0 75 करोड़ से 125 करोड़ तक अथवा रोजगार : न्यूनतम 750 (गारमैन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1500 )</td> </tr> <tr> <td>सुपर मेगा यूनिट</td> <td>निवेश : ₹0 75 करोड़ से अधिक अथवा रोजगार : न्यूनतम 750 (गारमैन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1500)</td> <td>निवेश : ₹0 125 करोड़ से अधिक अथवा रोजगार : न्यूनतम 1000 (गारमैन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 2000)</td> </tr> </tbody> </table>	उद्योग का प्रकार	श्रेणी सम्बन्धी मानदण्ड		बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में	प्रदेश के अन्य भागों में	मेगा यूनिट	निवेश : ₹0 50 करोड़ से 75 करोड़ तक अथवा रोजगार : न्यूनतम 500 (गारमैन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1000 )	निवेश : ₹0 75 करोड़ से 125 करोड़ तक अथवा रोजगार : न्यूनतम 750 (गारमैन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1500 )	सुपर मेगा यूनिट	निवेश : ₹0 75 करोड़ से अधिक अथवा रोजगार : न्यूनतम 750 (गारमैन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1500)	निवेश : ₹0 125 करोड़ से अधिक अथवा रोजगार : न्यूनतम 1000 (गारमैन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 2000)
उद्योग का प्रकार	श्रेणी सम्बन्धी मानदण्ड												
	बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में	प्रदेश के अन्य भागों में											
मेगा यूनिट	निवेश : ₹0 50 करोड़ से 75 करोड़ तक अथवा रोजगार : न्यूनतम 500 (गारमैन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1000 )	निवेश : ₹0 75 करोड़ से 125 करोड़ तक अथवा रोजगार : न्यूनतम 750 (गारमैन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1500 )											
सुपर मेगा यूनिट	निवेश : ₹0 75 करोड़ से अधिक अथवा रोजगार : न्यूनतम 750 (गारमैन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1500)	निवेश : ₹0 125 करोड़ से अधिक अथवा रोजगार : न्यूनतम 1000 (गारमैन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 2000)											
6.17	अनुसूचित जाति/जनजाति /महिला/ दिव्यांगों के स्वामित्व वाली वस्त्र औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन	<ul style="list-style-type: none"> <li>• वस्त्र नीति में वर्णित वित्तीय सुविधाओं की अधिकतम सीमा में छूट मेगा एवं सुपर मेगा इकाइयों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इम्पार्वर्ड कमेटी की संस्तुति के उपरान्त मंत्रिपरिषद/उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्वीकृति के उपरान्त दिया जायेगा।</li> <li>• मेगा इकाइयों को उ0प्र0 वस्त्र उद्योग नीति में वर्णित सभी वित्तीय सुविधाओं को सुसंगत शर्तों के अधीन अनुमन्य कराया जायेगा। केस-टू-केस आधार पर इन सुविधाओं की अधिकतम वित्तीय सीमा को मुख्य सचिव की कमेटी की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद/उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त शिथिल किया जा सकेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मेगा परियोजनाओं को कोई ऐसी सुविधाएं अनुमन्य नहीं करायी जायेंगी, जो उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति में आच्छादित न हों।</li> <li>• इन परियोजनाओं हेतु भूमि का आवंटन, जल, विद्युत संयोजन आदि को प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक मोड पर उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी इकाइयों को यदि परियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें जैसे-सड़क, विद्युत लाइन, सीवर लाइन, जल निकासी की आवश्यकता होगी, तो उसे यथासम्भव शासकीय व्यय पर उपलब्ध करार जाने पर विचार किया जाएगा।</li> <li>• डिप्टी एस.पी. रैंक का एक पुलिस आफ़ीसर निवेशक पुलिस मित्र या निवेशक का दोस्त के रूप में नामित होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इकाई को कानून व्यवस्था सम्बन्धी कोई समस्या न हो तथा इकाई श्रमिक समस्याओं के कारण बन्द न हो।</li> <li>• सुपर मेगा इकाइयों को उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त केस-टू-केस आधार पर अन्य प्रदेशों की तर्ज पर सुविधा या उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य सचिव की कमेटी की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद/उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त वे सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जो उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति से आच्छादित नहीं हैं।</li> <li>• राज्य सरकार द्वारा इस नीति के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/दिव्यांगों की न्यूनतम 75 प्रतिशत स्वामित्व वाली वस्त्र औद्योगिक इकाइयों को सभी प्रकार के ब्याज उपादानों में 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज उपादान दिया जायेगा।</li> <li>• यह अतिरिक्त ब्याज उपादान 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा कुल ब्याज उपादान पूर्ण देय ब्याज से अधिक नहीं होगा।</li> <li>• पश्चिमांचल में 1000 से अधिक श्रमिकों अथवा बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में 750 से अधिक उ0प्र0 के मूल निवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर रही वस्त्र उद्योग इकाइयों को जी0एस0टी0 के तहत राज्य की हिस्सेदारी के रूप में राज्य के खाते में जमा Net State GST धनराशि के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति निम्नलिखित किसी शर्त की पूर्ति होने पर करायी जायेगी :- <ul style="list-style-type: none"> <li>• न्यूनतम 25 प्रतिशत श्रमिक गरीबी रेखा के नीचे से हों,</li> </ul> </li> </ul>											
6.18	उ0प्र0 प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/ महिला/बी.पी.एल. श्रमिकों के रोजगार वाली वस्त्र उद्योग इकाइयों को												

अतिरिक्त प्रोत्साहन	अथवा
6.19 टेक्सटाइल आस्थानों/पार्कों 'भूमि लागत' आधुनिक हेतु ब्याज	<ul style="list-style-type: none"> <li>• न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला श्रमिक हों,</li> <li>• न्यूनतम 25 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हों।</li> <li>• टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु भूमि के क़य हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की प्रतिपूर्ति की यह सुविधा गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर शेष उ०प्र० में अनुमत्त होगी।</li> <li>• प्रतिपूर्ति की धनराशि-देय वार्षिक ब्याज की 50 प्रतिशत 7 वर्षों तक देय होगी।</li> <li>• "भूमि लागत ब्याज उपादान" भूमि क़य के दिनांक को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर आगणित किया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रु० एक करोड़ प्रतिवर्ष होगी।</li> </ul>
6.20 आन्तरिक सुविधाओं के विकास हेतु ब्याज उपादान	<ul style="list-style-type: none"> <li>• टेक्सटाइल पार्कों/आस्थानों के आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की 60 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक देय होगी।</li> <li>• ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा रु० 10 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति टेक्सटाइल पार्क/आस्थान होगी, जिसकी अधिकतम सचयी सीमा रु० 50 करोड़ तक देय होगी।</li> <li>• ई.टी.पी., प्रशिक्षण केन्द्र एवं परीक्षण प्रयोगशाला भी इस उपादान के लिये योग्य होंगे।</li> </ul>
6.21 टेक्सटाइल आस्थानों में पार्कों/स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री के निर्माण हेतु ब्याज उपादान	<ul style="list-style-type: none"> <li>• टेक्सटाइल पार्कों/आस्थानों में स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री के निर्माण हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की प्रतिपूर्ति की यह सुविधा गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर शेष उ०प्र० में अनुमत्त होगी।</li> <li>• यह सुविधा प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं के समीपीय क्षेत्र में भी होगी।</li> <li>• स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री हेतु जमीन की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा की जायेगी।</li> <li>• प्रतिपूर्ति की धनराशि देय वार्षिक ब्याज की 60 प्रतिशत प्रतिवर्ष 7 वर्षों तक देय होगी।</li> <li>• ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा रु० 5 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति टेक्सटाइल पार्क/आस्थान अथवा प्लग एण्ड प्ले के क्षेत्र में भी होगी, जिसकी अधिकतम सचयी सीमा रु० 30 करोड़ तक देय होगी।</li> </ul>
6.22 गुणवत्ता विकास उपादान	<ul style="list-style-type: none"> <li>• वस्त्र अनुसंधान, वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता सुधार एवं विकास के लिये वस्त्रोद्योग संगठनों, वस्त्र इकाईयों के समूहों द्वारा टेस्टिंग लैब, क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब एवं टूलरूम स्थापित करने हेतु प्लॉट, मशीनरी एवं इक्विपमेंट्स पर किये जाने वाले व्यय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर उपादान प्रतिपूर्ति के रूप में देय होगा।</li> <li>• प्रतिपूर्ति 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 05 वर्षों तक हेतु प्रति लैब/टूलरूम कुल रु० 1 करोड़ की सीमा तक देय होगी।</li> </ul>
6.23 बुनाई विषय से इण्टर मीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• व्यवसायिक विषयों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे छात्र, जो कताई एवं बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट (कक्षा-11, 12) की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्रति वर्ष ऐसे 2000 छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिये 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जायेगी।</li> </ul>
6.24 बुनाई विषय के इण्टर मीडिएट कालेजों को अनुदान	<ul style="list-style-type: none"> <li>• बुनाई प्रशिक्षण कालेजों के छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु नवीन हथकरघा के क़य, हथकरघा के विभिन्न उपकरणों के क़य जैसे-ड्युबी, जैकार्ड, कच्चा माल यथा-सूत, रंग-रसायन आदि के क़य हेतु रुपये 5 लाख प्रति कालेज अनुदान दिया जायेगा।</li> </ul>
6.25 हथकरघा सहायक मानदेय के बुनकर कर्मियों को	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 से 22 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्ति, जो हथकरघा वस्त्रों की बुनाई/रंगाई/डिजाइन आदि कार्यों में बुनकर के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे सहायक कर्मियों को दो वर्षों तक रुपये 1000 प्रति माह मानदेय दिया जायेगा।</li> </ul>
6.26 हथकरघा क्लस्टरों को अतिरिक्त अनुदान	<ul style="list-style-type: none"> <li>• चूंकि हथकरघा एक पारिवारिक उद्योग है राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुमोदित/स्वीकृत क्लस्टर प्रोजेक्टों में आवश्यकतानुसार पूर्ण करने के लिये रु० 15 लाख का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया</li> </ul>

27	प्रदेश के बाहर देश के बड़े शहरों में विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन	जायेगा। • प्रदेश के बाहर देश के बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के रेशम एवं हैण्डलूम कारीगरों तथा समितियों के उत्पादों की बिक्री के प्रोत्साहन हेतु प्रति वर्ष चार विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करायी जाएगी तथा स्थापित प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु सहायता दी जाएगी। • प्रत्येक प्रदर्शनी पर अनुमानित व्यय रुपये 40.00 लाख होगा।												
6.28	भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में प्रतिभागियों को वित्तीय सहायता	विदेश में आयोजित ऐसी 02 प्रदर्शनियाँ, जिन्हें भारत सरकार/विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा आयोजित कराया जाता है, उनमें उत्तर प्रदेश के बुनकरों एवं समितियों को प्रतिभाग करने हेतु एक व्यक्ति के प्रतिभाग करने के कुल व्यय का 90 प्रतिशत सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर दी जाएगी।												
7	आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण	योजनान्तर्गत लाभ प्राप्ति हेतु इच्छुक इकाई द्वारा आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण 1. सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालय को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। 2. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त द्वारा आवेदन पत्र एवं वांछित प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन, परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण कर अपनी संस्तुति के साथ आवेदन पत्र निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।												
8	योजना के संचालन हेतु गठित सक्षम कमेटियां	1- योजनान्तर्गत अनुसन्ध वित्तीय सुविधाओं के आवेदन पत्रों के सत्यापन एवं परीक्षण तथा स्थलीय सत्यापन हेतु परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना। <table border="1" data-bbox="936 89 2072 1013"> <thead> <tr> <th data-bbox="936 810 1025 1013">क्र०</th> <th data-bbox="936 810 1025 810">आवेदन-पत्र का प्रारूप</th> <th data-bbox="936 89 1025 810">परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1025 810 1182 1013">1</td> <td data-bbox="1025 810 1182 810">प्रारूप-1 प्रारूप-2 प्रारूप-3 प्रारूप-4</td> <td data-bbox="1025 89 1182 810">रेशम उद्योग से सम्बन्धित इकाइयों हेतु 1. सम्बन्धित सहायक निदेशक, रेशम उद्योग निदेशालय - संयोजक 2. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग - सदस्य रेशम उद्योग से भिन्न वस्त्र इकाइयों हेतु 1. सम्बन्धित प्रबन्धक, निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर - सदस्य अथवा सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय अथवा वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रमारी अधिकारी 2. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग - संयोजक</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1182 810 1585 1013">2</td> <td data-bbox="1182 810 1585 810">प्रारूप-6 प्रारूप-7</td> <td data-bbox="1182 89 1585 810">टेक्सटाइल पार्क हेतु 1. अधिशासी अभियन्ता, पी0डब्ल्यूडी0 - सदस्य 2. सम्बन्धित प्रबन्धक, निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर - सदस्य अथवा सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय अथवा वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रमारी अधिकारी</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1585 810 2072 1013">3</td> <td data-bbox="1585 810 2072 810">प्रारूप-8</td> <td data-bbox="1585 89 2072 810">3. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग - संयोजक औद्योगिक इकाइयों के समूह हेतु</td> </tr> </tbody> </table>	क्र०	आवेदन-पत्र का प्रारूप	परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना	1	प्रारूप-1 प्रारूप-2 प्रारूप-3 प्रारूप-4	रेशम उद्योग से सम्बन्धित इकाइयों हेतु 1. सम्बन्धित सहायक निदेशक, रेशम उद्योग निदेशालय - संयोजक 2. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग - सदस्य रेशम उद्योग से भिन्न वस्त्र इकाइयों हेतु 1. सम्बन्धित प्रबन्धक, निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर - सदस्य अथवा सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय अथवा वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रमारी अधिकारी 2. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग - संयोजक	2	प्रारूप-6 प्रारूप-7	टेक्सटाइल पार्क हेतु 1. अधिशासी अभियन्ता, पी0डब्ल्यूडी0 - सदस्य 2. सम्बन्धित प्रबन्धक, निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर - सदस्य अथवा सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय अथवा वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रमारी अधिकारी	3	प्रारूप-8	3. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग - संयोजक औद्योगिक इकाइयों के समूह हेतु
क्र०	आवेदन-पत्र का प्रारूप	परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना												
1	प्रारूप-1 प्रारूप-2 प्रारूप-3 प्रारूप-4	रेशम उद्योग से सम्बन्धित इकाइयों हेतु 1. सम्बन्धित सहायक निदेशक, रेशम उद्योग निदेशालय - संयोजक 2. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग - सदस्य रेशम उद्योग से भिन्न वस्त्र इकाइयों हेतु 1. सम्बन्धित प्रबन्धक, निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर - सदस्य अथवा सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय अथवा वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रमारी अधिकारी 2. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग - संयोजक												
2	प्रारूप-6 प्रारूप-7	टेक्सटाइल पार्क हेतु 1. अधिशासी अभियन्ता, पी0डब्ल्यूडी0 - सदस्य 2. सम्बन्धित प्रबन्धक, निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर - सदस्य अथवा सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय अथवा वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रमारी अधिकारी												
3	प्रारूप-8	3. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग - संयोजक औद्योगिक इकाइयों के समूह हेतु												

	प्रारूप-9	<p>1. सम्बन्धित प्रबन्धक, निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर – सदस्य अथवा सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय अथवा वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रभारी अधिकारी</p> <p>2. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग – संयोजक</p>
4	प्रारूप-10	<p>प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु एन0जी0ओ0</p> <p>1. सम्बन्धित प्रबन्धक, निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर – सदस्य अथवा सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय अथवा वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रभारी अधिकारी</p> <p>2. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग – संयोजक</p>
5	प्रारूप-11	<p>भारत सरकार से सहायता प्राप्त क्लस्टरों में राज्य सरकार द्वारा गैप फिलिंग</p> <p>1. प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित बुनकर सेवा केन्द्र – सदस्य</p> <p>2. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग – संयोजक</p>
6	प्रारूप-12 प्रारूप-13	<p>कताई-बुनाई विषय के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं सम्बन्धित कालेजों को अनुदान</p> <p>1. सम्बन्धित जनपद के डी0आई0ओ0एस0 – सदस्य</p> <p>2. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग – संयोजक</p>
7	प्रारूप-14 प्रारूप-15	<p>हथकरघा बुनकर सहकारी समितियाँ</p> <p>1. प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित बुनकर सेवा केन्द्र – सदस्य</p> <p>2. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग – संयोजक</p>

2- हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों से सम्बन्धी वित्तीय सुविधाओं तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वस्त्र उद्यम इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं के अनुमोदन हेतु राज्यस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना


1	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर	अध्यक्ष
2	आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में अपर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग	सदस्य
3	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, कानपुर	सदस्य
4	प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, कानपुर	सदस्य
5	निदेशक, उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	सदस्य
6	प्रबन्धक, निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर, कानपुर	
7	वित्त नियन्त्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर	सदस्य
8	संयुक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0।	सदस्य
9	योजनाधिकारी, वस्त्र नीति क्रियान्वयन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग	संयोजक



		निदेशालय, उ०प्र०।	सदस्य																																										
		<p>3- वृहद, मेगा एवं सुपर मेगा वस्त्र औद्योगिक उपक्रम हेतु गठित शासकीय स्वीकृति समिति</p> <p>वृहद वस्त्र औद्योगिक इकाईयों मेगा एवं सुपर वस्त्र औद्योगिक इकाईयों टेक्सटाइल पार्क एवं औद्योगिक आस्थान हेतु उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल, एवं गारमेन्टिंग पालिसी- 2017 में अनुमन्य सुविधाओं के स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, वस्त्रोद्योग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में एक शासकीय स्वीकृति समिति गठित की जायेगी जिनके सदस्य निम्नवत् होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन</li> <li>II. प्रमुख सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन</li> <li>III. प्रमुख सचिव, न्याय, उ०प्र० शासन</li> <li>IV. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन</li> <li>V. सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के प्रमुख सचिव जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।</li> <li>VI. आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, संयोजक</li> <li>VII. पी०एम०ए० के पदाधिकारी, सहसंयोजक</li> </ol> <p>3 <u>इम्पावर्ड कमेटी की सदस्य संरचना-</u> ऐसी सुविधायें जो वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में अनुमन्य नहीं हैं अथवा वित्तीय सुविधा की मांग इकाई द्वारा अनुमन्य सुविधा से अधिक अथवा अतिरिक्त की गयी है अथवा अन्य राज्यों में अनुमन्य सुविधाओं की भांति अतिरिक्त सुविधाओं की मांग की गयी है। इकाई की मांग औचित्यपूर्ण पाये जाने पर निर्णय हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जायेगा। इम्पावर्ड कमेटी की सदस्य संरचना निम्नवत् है :-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>सदस्य</th> <th>पद</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन</td> <td>अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग, उ०प्र० शासन</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्योग विभाग, उ०प्र० शासन</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>प्रमुख सचिव, वस्तु एवं सेवाकर, उ०प्र० शासन</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उ०प्र० शासन</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ०प्र० शासन</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के प्रमुख सचिव, जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ०प्र०, कानपुर</td> <td>प्रस्तावक/सदस्य</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>पी०एम०ए० के पदाधिकारी</td> <td>सहसंयोजक</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों को भी भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		क्र.सं.	सदस्य	पद	1	मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष	2	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य	3	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य	4	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य	5	प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य	6	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्योग विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य	7	प्रमुख सचिव, वस्तु एवं सेवाकर, उ०प्र० शासन	सदस्य	8	प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उ०प्र० शासन	सदस्य	9	प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य	10	सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के प्रमुख सचिव, जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।	सदस्य	11	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ०प्र०, कानपुर	प्रस्तावक/सदस्य	12	पी०एम०ए० के पदाधिकारी	सहसंयोजक	...	इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों को भी भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।	
क्र.सं.	सदस्य	पद																																											
1	मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष																																											
2	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य																																											
3	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य																																											
4	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य																																											
5	प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य																																											
6	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्योग विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य																																											
7	प्रमुख सचिव, वस्तु एवं सेवाकर, उ०प्र० शासन	सदस्य																																											
8	प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उ०प्र० शासन	सदस्य																																											
9	प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य																																											
10	सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के प्रमुख सचिव, जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।	सदस्य																																											
11	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ०प्र०, कानपुर	प्रस्तावक/सदस्य																																											
12	पी०एम०ए० के पदाधिकारी	सहसंयोजक																																											
...	इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों को भी भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।																																												
9	विविध	<ul style="list-style-type: none"> <li>● इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वस्त्र उद्योग की इकाईयों को समस्त प्रकार की छूट, प्रतिपूर्ति, अनुदान आदि कुल मिलाकर पूर्ण स्थायी पूंजीगत निवेश (Fixed</li> </ul>																																											

		<p>capital investment) (भूमि, बिल्डिंग, अन्य निर्माण, प्लांट एवं मशीनरी व विविध स्थायी निर्माण) के 120 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। पूर्वान्वल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित वस्त्र उद्योग की मेगा एवं सुपर मेगा श्रेणी की इकाईयों हेतु 300 प्रतिशत तथा मध्यान्वल में 200 प्रतिशत, पश्चिमांचल (जी.बी. नगर को छोड़कर) में 100 प्रतिशत तथा गौतमबुद्धनगर जनपद में स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु यह सीमा 80 प्रतिशत होगी।</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● नीति में वर्णित सुविधायें वस्त्रोद्योग के अन्तर्गत स्थापित होने वाली नई इकाईयों के साथ-साथ विस्तारीकरण/विविधीकरण इकाईयों पर भी लागू होगी। विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाई का तात्पर्य ऐसी इकाई से है, जिसके द्वारा विस्तारीकरण/विविधीकरण के ठीक पूर्व भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स एवं कैपिटल गुड्स में किये गये निवेश का न्यूनतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी निवेश उपरोक्त मदों में किया जाए तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण से पूर्व की अधिष्ठापित क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाए।</li><li>● यह स्पष्ट है कि नीति में वर्णित सभी सुविधायें भारत सरकार की TUFs तथा अन्य योजनाओं से प्राप्त सुविधाओं के अतिरिक्त होंगी।</li><li>● प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र ऐसे व्यक्ति, जो वस्त्रोद्योग इकाईयों/वस्त्रोद्योग पार्क बनाने वाली SPV और प्लग एण्ड प्ले सुविधा देने वाली एजेंसियों द्वारा पहले ही अनुबन्धित कर लिये जायेंगे, के लिये PMAY आवास उपलब्ध कसने हेतु विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद को प्रोत्साहित किया जायेगा।</li></ul>
10	आवेदन का प्रारूप	नीति के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधायें प्राप्त करने हेतु आवेदनों के प्रारूप-1 से 17 (ब) तक संलग्न हैं एवं सम्बन्धित अनुलग्नक-1 से 4 तक संलग्न हैं।
11	टिप्पणी	उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2017 कियान्वयन नियमावली अलग से प्रख्यापित की जायेगी।

संलग्नक:-यथोक्त।


भवदीय,  
  
( मुकुल सिंहल )  
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-344(1)/63-व0उ0-2018, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
- 7- निदेशक, रेशम निदेशालय, लखनऊ।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 9- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, माल एवेन्च्यूर, लखनऊ।
- 10- निदेशक, फिक्की, फेडरेशन हाऊस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली।
- 11- महासचिव, एसोचेम यू0पी0, 2/302, विकास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 12- सी0आई0आई0, प्लॉट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 13- आई0 आई0 ए0, विभूति खण्ड, टारून सेन्टर फेज-11, निकट अपना बाजार, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 14- क्लॉथ मैन्चुफैक्चरिंग एसोसिएशन आफ इण्डिया, गुरुग्राम, हरियाणा।
- 15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
( बी0 पी0 मिश्र )  
उप सचिव।

**प्रारूप-1**

**उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र**

**(सूक्ष्म/लघु/मध्यम/वृहद वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों के लिए)**

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदन द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

**पूँजीगत निवेश और परियोजना स्थल के आधार पर आवेदन किए गए वस्त्र औद्योगिक उपक्रम की श्रेणी**

**(अ) निवेश के लिए मापदंड**

	सूक्ष्म वस्त्र इकाई	लघु वस्त्र इकाई	मध्यम वस्त्र इकाई	वृहद वस्त्र इकाई	
				पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड	प्रदेश के अन्य भागों में
	25 लाख रू0 से कम	25 लाख रू0 से अधिक किन्तु अधिकतम 5 करोड़ रुपये	5 करोड़ रू0 से अधिक किन्तु अधिकतम 10 करोड़ रुपये	रू0 10 करोड़ से अधिक किन्तु रू0 50 करोड़ से कम	रू0 10 करोड़ से अधिक किन्तु रू0 75 करोड़ से कम
निवेश की राशि (रू0)					
जनपद/क्षेत्र					

क्र0सं0	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज			
1	आवेदक का नाम/पता एवं सम्पर्क विवरण		निगमीकरण प्रमाणपत्र, पंजीकृत भागीदारी विलेख, न्यास/सोसायटी पंजीकरण विलेख। (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .....)			
2	आवेदक का संघटन (कान्सटीट्यूशन)		कम्पनी/भागीदारी फर्म/अन्य (संगम अनुच्छेद (MOA)/अनुच्छेद/उप-नियम आदि) (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .....)			
3	मौजूदा/प्रस्तावित औद्योगिक उपक्रम का परियोजना स्थल					
4	निदेशकों/भागीदारों/अन्य के नाम/पता एवं सम्पर्क विवरण		पैन और डिन नं0 (सम्बन्धित दस्तावेजों द्वारा समर्थित) (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .....)			
5	आवेदक की जीएसटीआईएन		सम्बन्धित दस्तावेजों द्वारा समर्थित (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .....)			
6	वस्त्र औद्योगिक उपक्रम की प्रकृति		(नया/विस्तारीकृत/विविधिकृत)			
7	वस्त्र उद्योग की श्रेणी		आईडी एंड आर अधिनियम/ एनआईसी के अनुसार औद्योगिक श्रेणीकरण			
8	वस्त्र औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए पंजीकरण या अनुज्ञा-पत्र		यू0ए0एम0 (एमएसएमई के लिए)/आईएल/आईईएम (वृहद के लिए) की प्रति संलग्न करें (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .....)			
9	मौजूदा वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों (विस्तार/विविधिकरण)/प्रस्तावित वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों के मामले में :					
क्र0सं0	वर्तमान उत्पाद	मौजूदा संस्थापित क्षमता	प्रस्तावित उत्पाद	प्रस्तावित संस्थापित क्षमता	मौजूदा सकल ब्लाक	प्रस्तावित सकल ब्लाक

	वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की प्रस्तावित तारीख		
11	प्रस्तावित पूँजी निवेश		विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) संलग्न की जाये। (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .....)
11.1	वह तारीख जब से पूँजी निवेश आरंभ किया गया है या आरंभ किया जाना प्रस्तावित है		
11.2	क्या पूँजी निवेश चरणों में किया जाना प्रस्तावित है		

## 12. आवेदक द्वारा प्रार्थित/आवेदित वित्तीय सुविधाओं का विवरण

क्र०सं०	मद	राशि (रु०)
12.1	समस्त वित्तीय सुविधाओं की कुल धनराशि (रु०)	
	<b>आवेदित वित्तीय सुविधाओं का विवरण</b>	
12.2	सरकारी एजेन्सियों द्वारा भूमि आवंटन में सब्सिडी	
12.3	स्टाम्प ड्यूटी से छूट	
12.4	राज्य कर विभाग से छूट (नेट स्टेट जीएसटी की प्रतिपूर्ति)	
12.4.1	10 प्रतिशत जीएसटी की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति उन वस्त्र इकाइयों को, (पश्चिमांचल में स्थित वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों में 1000 से अधिक अथवा बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में 750 से अधिक उ०प्र० के मूल निवासी श्रमिक हों) तथा न्यूनतम 25 प्रतिशत श्रमिक गरीबी रेखा से नीचे हों अथवा 50 प्रतिशत महिला श्रमिक हों अथवा 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कामगार हों) को देय होगी।	
12.5	पूँजीगत उपादान	
12.6	ब्याज उपादान	
12.6.1	0.5 अतिरिक्त ब्याज उपादान, उन वस्त्र इकाइयों को, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/महिला का न्यूनतम 75 प्रतिशत स्वामित्व हो	
12.7	मार्जिन मनी अनुदान	
12.7.1	अतिरिक्त 5 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान, अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को	
12.8	अवस्थापना ब्याज उपादान	
12.8.1	अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत अवस्थापना ब्याज उपादान, उन वस्त्र इकाइयों को, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/महिला का न्यूनतम 75 प्रतिशत स्वामित्व हो	
12.9	कार्यशील पूँजी उपादान	
12.9.1	अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत कार्यशील पूँजी उपादान, अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/महिला हेतु।	
12.10	ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति (100 या इससे अधिक अकुशल कामगार)	
12.10.1	10 अतिरिक्त ईपीएफ प्रतिपूर्ति (200 प्रत्यक्ष कुशल और अकुशल कामगार)	
12.11	माल-भाड़े की प्रतिपूर्ति	
12.12	कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फिलिंग अनुदान	
12.13	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट	
12.14	मंडी शुल्क से छूट	



## संलग्न सहायक दस्तावेजों का विवरण

क्र०	विवरण	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
13.1	यू०.ए.एम./आई.ई.एम./आई.एल की पावती	
13.2	समस्त अनुसूचियों सहित इकाई के लेखा परीक्षित लेखे (चालू वित्त वर्ष के साथ-साथ पिछले पाँच वर्ष)	
13.3	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	
13.4	मौजूदा सकल परिसम्पत्तियों हेतु सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र	
13.5	सकल ब्लॉक के समर्थन में मौजूदा वस्त्र औद्योगिक उपक्रम की स्थायी परिसम्पत्तियों की सनदी अभियंता द्वारा प्रमाणित सूची	
13.6	शपथपत्र (रु० 10 के स्टाम्प पेपर पर अनुलग्नक-1 के अनुसार)	

### घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी में उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ०प्र० वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल ..... पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

प्रारूप-2

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आगणन-प्रपत्र  
(सूक्ष्म/लघु/मध्यम/बृहद वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों के लिए)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

1- वितरण के स्तर पर जमा की जाने वाली सूचना एवं दस्तावेज

क्रम सं0	विवरण	ब्यौरा
1.1	आवेदक का नाम और पता	
1.2	मौजूदा/प्रस्तावित औद्योगिकउपक्रम का परियोजनास्थल	
1.3	किए गये वास्तविक पूंजी निवेश का चरणबद्ध विवरण एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथियाँ (उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अथवा सनदी लेखाकार (CA) का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।	

2- वस्त्र औद्योगिक उपक्रम में पात्र पूँजीगत निवेश का ब्यौरा

क्र0सं0	मद	नया/मौजूदा	विस्तार/विविधिकरण	विस्तार/विविधिकरण के अधीन वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5
i	भूमि			
ii	भवन			
iii	अन्य निर्माण			
iv	संयंत्र और मशीनरी			
v	अवस्थापना सुविधायें			
	कुल			

3- वस्त्र औद्योगिक उपक्रम द्वारा किये गये पूँजीगत निवेश का विवरण (धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	घटक	परियोजना लागत		वास्तविक पूँजी निवेश (वैधानिक आडिट प्रमाण-पत्र के अनुसार)				कुल योग
		डी.पी.आर. के अनुसार	एप्रैजल के अनुसार	कट आफ डेट के पूर्व	कट आफ डेट व वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के मध्य (यदि चरणों में, तो चरणबद्ध पूंजी निवेश)	अंतिम चरण के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से अब तक (पात्र पूँजी निवेश अवधि तक)		
1	2	3	4	5	6	10 प्रतिशत	90 प्रतिशत	9
i	भूमि एवं साइट डेवलपमेन्ट							
ii	भवन एवं सिविल वर्क्स							
iii	संयंत्र और मशीनरी							

i	विविध स्थायी परिसम्पत्तियाँ							
v	तकनीकी जानकारी (Technical knowhow) शुल्क							
vi	निर्माण अवधि के दौरान ब्याज							
vii	प्रारम्भिक एवं संचालन पूर्व (prel. and pre-operarative) के खर्चे							
viii	कार्यशील पूँजी हेतु मार्जिन मनी							
	योग							
नोट :- कम संख्या (v), (vi), (vii) एवं (viii) में किया गया पूँजी अर्ह नहीं होगा।								

3.2 पूँजी निवेश के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज		संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
i	पूँजीगत निवेश से सम्बन्धित दस्तावेज, नियमों/सरकारी आदेशों/एम0एस0एम0ई0डी0 अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अनुरूप पूँजीगत निवेश के लिये सनदी लेखाकार के प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न किये जायें	
ii	वृहद वस्त्र औद्योगिक उपक्रम के मामले में निम्नलिखित दो रिपोर्टें (अ) नोडल एजेन्सी (पी0एम0ए0) के पैनल में शामिल सनदी लेखाकारों के माध्यम से शासनादेश के प्राविधान के अनुसार कम्पनी द्वारा किये गये पूँजीगत निवेश पर परीक्षण का प्रमाण-पत्र (ब) नोडल एजेन्सी (पी0एम0ए0) के पैनल में शामिल परामर्शदाताओं/मूल्यांकनकर्ताओं/इंजीनियर के माध्यम से साइट पर किये गये पूँजीगत निवेश (भूमि, भवन, संयंत्र तथा मशीनरी) के संस्थापन की जाँच/सत्यापन आख्या	

#### 4- सरकारी एजेन्सियों द्वारा भूमि आवंटन में सब्सिडी

क्र0	बिन्दु	विवरण	सम्बन्धित दस्तावेज
i	भूमि प्रदान करने वाली सरकारी संस्था का नाम व पता		भूमि क्रय एवं परियोजना लागत से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज संलग्न करें। (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .... .....)
ii	क्रय की गयी भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		
iii	सर्किल रेट के अनुसार क्रय की गयी भूमि की कीमत		
iv	भूमि क्रय कीमत के सापेक्ष देय सब्सिडी का प्रतिशत		
v	देय प्रतिशत के अनुसार सब्सिडी की धनराशि (रु0)		
vi	परियोजना लागत (रु0)		
vii	परियोजना लागत धनराशि का 5 प्रतिशत (रु0)		
viii	दावा धनराशि (बिन्दु v अथवा vii में वर्णित धनराशि, जो भी कम हो) (रु0)		

#### 5- राज्य कर विभाग से छूट (नेट जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति)

5.1 जी0एस0टी0 अधिनियम के अधीन अदा किये गये कर		विवरण	अपेक्षित दस्तावेज
i	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी जी.एस.टी.आई.एन.		संबन्धित अवधि के लिए राज्य सरकार के खाते में प्राप्त
ii	वित्तीय वर्ष _____ के लिए जमा किए गए जी.एस.टी.		



	के सापेक्ष कर की राशि (रु०)		जीएसटी के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
iii	निर्मित उत्पाद के सापेक्ष जमा की गयी जीएसटी की राशि (रु०)		
iv	अवधि के दौरान जमा किये गये जीएसटी में से प्रतिपूर्ति हेतु पात्र राशि (रु०)		

5.2 इकाई द्वारा अदा किए गए जी.एस.टी. के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज		संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
i	वाणिज्यिक कर विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।	
ii	संबंधित वित्तीय वर्ष के इकाई स्तरीय लेखा परीक्षित लेखे (जिसके लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति का दावा किया जा रहा है)	
iii	कम्पनी के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी लेखा परीक्षा रिपोर्ट।	
iv	इकाई के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, (सनदी लेखाकार, द्वारा प्रमाणित एकल (stand alone) एसजीएसटी विवरण/प्रतिवेदन)	
v	निर्मित माल/कारोबारी माल/कबाड/स्टाक ट्रांसफर की बिक्री आदि के समाशोधन के लिए सी.ए. का प्रमाण पत्र और इनके सापेक्ष अलग अलग अदा किया गया जीएसटी	

## 6- पूँजीगत उपादान एवं ब्याज उपादान एवं मार्जिन मनी अनुदान

6.1 पूँजीगत उपादान/ब्याज उपादान सुविधा हेतु सम्बन्धित तथ्यों का विवरण				
क्र०	बिन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
1	2	3	4	5
i	बैंक/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार 2. संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र। 3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र। 4. कय की गयी संयंत्र और मशीनरी का विवरण (इन्वाइस सहित) 5. बैंक एग्जल रिपोर्ट	
ii	संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए स्वीकृत ऋण की राशि			
iii	ब्याज की दर			
iv	स्वीकृति की तारीख			
v	वितरण की तारीख सहित संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए वितरित ऋण की राशि			

6.2 लोन एकाउन्ट का विवरण						
क्र०	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6	7

### 6.3 पूँजीगत उपादान हेतु आगणन तालिका

परियोजना लागत धनराशि (रु०)	कार्यरत कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या	देय वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा (रु०) (नीति के बिन्दु 3.5.4 के अनुसार)	प्लान्ट एवं मशीनरी की कुल लागत धनराशि (रु०)	देय पूँजीगत उपादान की धनराशि		दावा धनराशि (रु०) कालम 4 अथवा कालम 7 में वर्णित धनराशि, जो भी कम हो
				प्रतिशत में	(रु० में) (कालम 5) X (कालम 6)	
1	2	4	5	6	7	7

### 6.4 ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन

क्रम सं०	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान		ब्याज उपादान की अपेक्षित धनराशि			
		मूल धनराशि (रु०)	ब्याज	7 % की दर से अपेक्षित/देय ब्याज उपादान धनराशि (रु०)	अतिरिक्त 0.5 % उपादान की धनराशि यदि देय हो (रु०)	कुल धनराशि (रु०) (कालम-5 एवं कालम-6 का योग)	दावा धनराशि (रु०) (कालम-7 में वर्णित धनराशि अथवा रु० 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष, जो भी कम हो)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वर्ष-I ( )						
2.	वर्ष-II ( )						
3.	वर्ष-III ( )						
4.	वर्ष-IV ( )						
5.	वर्ष-V ( )						
6.	वर्ष-VI ( )						
7.	वर्ष-VII ( )						
	कुल						

### 6.5 मार्जिन मनी वित्तीय सहायता हेतु आगणन तालिका

(रेशम उद्योग यथा :-चाकी कीट पालन, कोया उत्पादन, रीलिंग एवं स्पिनिंग हेतु)

बैंक अप्रैजल के अनुसार पूँजी निवेश (रु०)	अजा/अजजा के अतिरिक्त अन्य उद्यमियों को देय 15 प्रतिशत के अनुसार मार्जिन मनी दावा धनराशि (रु०)	अजा/अजजा उद्यमियों को देय 20 प्रतिशत के अनुसार मार्जिन मनी दावा धनराशि (रु०)
1	2	3

### 7- अवस्थापना ब्याज उपादान की वित्तीय सुविधा का आगणन

क्र०	बिन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
1	2	3	4	5
i	बैंको/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार	
ii	अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि		2. संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र।	
iii	ब्याज की दर		3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।	
iv	स्वीकृति की तारीख		4. अवस्थापना सुविधाओं का विवरण (व्यय धनराशि, इन्वाइस, बिल-वाउचर सहित)	
v	संयंत्र और मशीनरी में ऋण निवेश की राशि वितरण की तारीखों सहित		5. बैंक अप्रैजल रिपोर्ट	

7.2 अवस्थापना ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन						
क्रम सं०	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान		अवस्थापना ब्याज उपादान की अपेक्षित धनराशि		
		मूल धनराशि (रु०)	ब्याज (रु०)	5 % की दर से अपेक्षित/देय ब्याज उपादान धनराशि (रु०)	अतिरिक्त 2.5 % उपादान की धनराशि यदि देय हो (रु०)	कुल धनराशि (रु०) (कालम-5 एवं कालम-6 का योग)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	आवेदित वर्ष में देय दावा धनराशि की गणना					
	वर्ष-I ( )					
	वर्ष-II ( )					
	वर्ष-III ( )					
	वर्ष-IV ( )					
	वर्ष-V ( )					
					योग (समग्र धनराशि)	
<b>B</b>	विगत वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि (रु०)					
<b>C</b>	प्रस्तर A व B में वर्णित धनराशियों का योग					
<b>D</b>	अतिरिक्त धनराशि (रु०) (Excess Amount) की गणना					
	1. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि रु० एक करोड़ से कम है, तो अतिरिक्त धनराशि शून्य होगी। 2. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि रु० एक करोड़ से अधिक है, तो अतिरिक्त धनराशि की गणना निम्नवत् की जायेगी :- अतिरिक्त धनराशि = (प्रस्तर C में वर्णित धनराशि) - (रु० एक करोड़)					
<b>E</b>	देय दावा धनराशि (रु०) (प्रस्तर A में वर्णित धनराशि) - (प्रस्तर D में वर्णित धनराशि)					

7.3 अवस्थापना ब्याज उपादान से सम्बन्धित लोन एकाउन्ट का विवरण						
क्र०	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6	7

### 8- कार्यशील पूँजी उपादान :-

8.1 कार्यशील पूँजी उपादान से सम्बन्धित तथ्य				
क्र०	बिन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
i	बैंक/वित्तीय संस्था का नाम व पता		1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार	
ii	कार्यशील पूँजी हेतु स्वीकृत सी०सी०एल० धनराशि (रु०)		2. कार्यशील पूँजी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र।	
iii	स्वीकृत ब्याज दर		3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।	

iv	वितरित ऋण की धनराशि (रु०)		4. अवस्थापना सुविधाओं का विवरण (व्यय धनराशि, इन्वाइस, बिल-वाउचर सहित) 5. बैंक एग्जल रिपोर्ट	
v	वितरित ऋण के सापेक्ष बैंक में जमा की गयी ब्याज की धनराशि (रु०)			

8.2 कार्यशील पूँजी हेतु बैंक में लोन एकाउन्ट का विवरण						
क्र०	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6	7

### 9- ई०पी०एफ० की प्रतिपूर्ति

क्र०	विवरण	दावा वर्ष	धनराशि	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
9.1	प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त श्रमिकों की संख्या			<p>1. मुख्य प्रोत्साहक/प्राधिकृत की ओर से इस आशय का शपथ पत्र कि उपर्युक्त सभी विवरण सत्य है और इकाई में संबंधित वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए ..... श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का आवेदन किया गया है।</p> <p>2. कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रपत्र-12 की प्रति।</p> <p>3. ई.पी.एफ.ओ. या कर्मचारी के भविष्य निधि न्यास में अदा किए गये अंशदानों का महीना-वार ब्यौरा जिसे ईपीएफओ के संबंधित सक्षम अधिकारी/न्यास के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।</p>	
9.2	क्या इकाई भारत सरकार की ई०पी०एफ० स्कीम रिफार्म्स/ प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 03 वर्ष तक ई०पी०एफ० प्रतिपूर्ति की सहायता प्राप्त कर चुकी है। (यदि हाँ, तो ऐसी इकाईयों को 02 अतिरिक्त वर्षों तक देय)				
9.3	विगत वर्षों में यदि ई०पी०एफ० प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है, तो उसका वर्षवार विवरण				
9.4	आवेदित वर्ष में किस दावा वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की मांग की गयी है ?				
9.5	दावा वित्तीय वर्ष में नियोक्ता अंशदान की धनराशि (रु०)				
9.6	देय प्रतिपूर्ति का प्रतिशत ( 100 से अधिक तथा 200 तक प्रत्यक्ष रोजगार वाली इकाई को नियोक्ता अंश का 50 प्रतिशत) ( 200 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार वाली इकाई को नियोक्ता अंश का 60 प्रतिशत)				
9.7	देय प्रतिपूर्ति की दावा धनराशि (रु०)				



संलग्न अन्य दस्तावेजों का विवरण क्र०	दस्तावेज का विवरण	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
12.1	गरीबी रेखा से नीचे के कामगारों का विवरण, समर्थक दस्तावेजों सहित (कर्मचारी विशिष्ट संख्याएं, ईपीएफओ संख्या, बीपीएल कार्ड, कर्मचारी वेतन सूची (पे रोल) आदि)	
12.2	अनुसूचित जाति/जनजाति के कामगारों का विवरण समर्थक दस्तावेजों और कर्मचारी पे रोल सहित	
12.3	महिला कामगारों का विवरण कर्मचारी पे रोल सहित	
12.4	दिव्यांग श्रमिकों का विवरण कर्मचारी पे रोल सहित	
12.5	प्राप्त की गई स्टाम्प ड्यूटी छूट की विस्तृत गणना	
12.6	प्राप्त की गई मण्डी शुल्क छूट की विस्तृत गणना	
12.7	प्राप्त की गई विद्युत शुल्क छूट की विस्तृत गणना	

### घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी ने उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी -2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गए लाभों की तत्काल वापसी कर देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल ..... पृष्ठ

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

**प्रारूप-3**

**उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र**

(मेगा/सुपर मेगा वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों के लिए)

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक				प्राप्ति का दिनांक

1. पूँजीगत निवेश /परियोजना स्थल/प्रस्तावित रोजगार के आधार पर आवेदन किए गए वस्त्र औद्योगिक उपक्रम की श्रेणी

<b>(अ) क्षेत्रीय निवेश के आधार</b> (पूँजी निवेश जैसा कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2017 में परिभाषित है)					
	पूर्वाञ्चल एवं बुन्देलखण्ड	प्रदेश के अन्य भाग	वस्त्र इकाई की श्रेणी	जहाँ लागू हो सही का चिन्ह लगायें	निवेश की धनराशि अंकित करें
वृहद वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों के लिये निर्धारित निवेश राशि से अधिक एवं रू0 ..... करोड़ तक	रू0 50 करोड़ से रू0 75 करोड़ तक	रू0 75 करोड़ से रू0 125 करोड़ तक	मेगा		
	रू0 75 करोड़ से अधिक	रू0 125 करोड़ से अधिक	सुपर मेगा		

अथवा

<b>(ब) क्षेत्रीय रोजगार के आधार पर</b> (रोजगार सृजन जैसा कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2017 में परिभाषित है)							
	पूर्वाञ्चल एवं बुन्देलखण्ड		प्रदेश के अन्य भागों में		वस्त्र इकाई की श्रेणी	जहाँ लागू हो सही का चिन्ह लगायें	इकाई में वास्तविक रोजगार सृजन अंकित करें।
	गारमेन्टिंग इकाईयों हेतु	अन्य वस्त्र इकाईयों	गारमेन्टिंग इकाईयों हेतु	अन्य वस्त्र इकाईयों			
इकाई में रोजगार सृजन (श्रमिकों की संख्या),	1000	500	1500	750	मेगा		
	1500	750	2000	1000	सुपर मेगा		

क्र०सं०	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज			
2	आवेदक का नाम/पता एवं सम्पर्क विवरण		निगमन प्रमाणपत्र, पंजीकृत साझेदारी अनुबन्ध, ट्रस्ट/सोसायटी पंजीकरण विलेख। (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .....)			
3	आवेदक का संघटन (कान्सटीट्यूशन)		कम्पनी/भागीदारी फर्म/अन्य (संगम अनुच्छेद (MOA)/अनुच्छेद/उप-नियम आदि) (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .....)			
4	वर्तमान/प्रस्तावित वस्त्र औद्योगिक उपक्रम का परियोजना स्थल					
5	निदेशकों/साझेदारों/ अन्य के नाम/पता एवं सम्पर्क विवरण		पैन और डिन नो (सम्बन्धित दस्तावेजों द्वारा समर्थित) (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .....)			
6	आवेदक वस्त्र इकाई की जीएसटीआईएन		सम्बन्धित दस्तावेजों द्वारा समर्थित (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .....)			
7	वस्त्र औद्योगिक उपक्रम की प्रकृति		(नया/विस्तारीकृत/विविधिकृत)			
8	वस्त्र उद्योग की श्रेणी		आईडी एंड आर अधिनियम/ एनआईसी के अनुसार औद्योगिक श्रेणीकरण			
9	वस्त्र औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए पंजीकरण या अनुज्ञप्ति		आईएल/आईईएम की प्रति संलग्न करें) (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .....)			
10	निर्मित किये जाने वाले वर्तमान प्रस्तावित उत्पादों का विवरण एवं उनकी क्षमता (वाह्य सलाहकार/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संलग्न करें) (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .....)					
क्र०सं०	वर्तमान उत्पाद	वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता	प्रस्तावित उत्पाद	प्रस्तावित अधिष्ठापित क्षमता	वर्तमान सकल ब्लाक	प्रस्तावित सकल ब्लाक
11	(i) वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख (ii) विस्तारीकृत/विविधिकृत इकाई के सन्दर्भ में न्यूनतम 25% विस्तारित/विविधिकृत वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख					
12	प्रस्तावित पूँजी निवेश				1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) संलग्न की जाये। (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .....) 2. आई.ई.एम. का भाग-2/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .....)	
12.1	वह तारीख जब से पूँजी निवेश आरम्भ किया गया है या आरंभ किया जाना प्रस्तावित है					
12.2	क्या पूँजी निवेश चरणों में किया जाना प्रस्तावित है					



13. आवेदक द्वारा प्रार्थित/निवेदित वित्तीय सुविधाओं का विवरण

क्र०सं०	मद	राशि (रु०)
13.1	समस्त वित्तीय सुविधाओं की कुल धनराशि (रु०)	
	आवेदित वित्तीय सुविधाओं का विवरण	
13.2	सरकारी एजेन्सियों द्वारा भूमि आवंटन में सब्सिडी	
13.3	स्टाम्प ड्यूटी से छूट	
13.4	राज्य कर विभाग से छूट (नेट स्टेट जीएसटी की प्रतिपूर्ति)	
13.4.1	10 प्रतिशत जीएसटी की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति उन वस्त्र इकाईयों को, (पश्चिमांचल में स्थित वस्त्र औद्योगिक उपकरणों में 1000 से अधिक अथवा बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यान्चल में 750 से अधिक उ०प्र० के मूल निवासी श्रमिक हों) तथा न्यूनतम 25 प्रतिशत श्रमिक गरीबी रेखा से नीचे हों अथवा 50 प्रतिशत महिला श्रमिक हो अथवा 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कामगार हों) को देय होगी।	
13.5	पूँजीगत उपादान	
13.6	ब्याज उपादान	
13.6.1	0.5 अतिरिक्त ब्याज उपादान, उन वस्त्र इकाईयों को, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/महिला का न्यूनतम 75 प्रतिशत स्वामित्व हो	
13.7	मार्जिन मनी अनुदान	
13.7.1	अतिरिक्त 5 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान, अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को	
13.8	अवस्थापना ब्याज उपादान	
13.8.1	अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत अवस्थापना ब्याज उपादान, उन वस्त्र इकाईयों को, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/महिला का न्यूनतम 75 प्रतिशत स्वामित्व हो	
13.9	कार्यशील पूँजी उपादान	
13.9.1	अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत कार्यशील पूँजी उपादान, अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/महिला हेतु।	
13.10	ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति (100 या इससे अधिक अकुशल कामगार)	
13.10.1	10 अतिरिक्त ईपीएफ प्रतिपूर्ति (200 प्रत्यक्ष कुशल और अकुशल कामगार)	
13.11	माल-भाड़े की प्रतिपूर्ति	
13.12	कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फिलिंग अनुदान	
13.13	रोजगार सृजन अनुदान	
13.14	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट	
13.15	मंडी शुल्क से छूट	

## संलग्न सहायक दस्तावेजों का विवरण

क्र०	विवरण	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
14.1	आई.ई.एम./आई.एल की पावती	
14.2	वाह्य सलाहकार/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	
14.3	समस्त अनुसूचियों सहित इकाई के लेखा परीक्षित लेखे (चालू वित्त वर्ष के साथ-साथ पिछले पाँच वर्ष)	
14.4	मौजूदा सकल परिसम्पत्तियों हेतु सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र	
14.5	सकल ब्लॉक के समर्थन में मौजूदा वस्त्र औद्योगिक उपक्रम की स्थायी परिसम्पत्तियों की सनदी अभियंता द्वारा प्रमाणित सूची	
14.6	शपथपत्र (रु० 10 के स्टाम्प पेपर पर अनुलग्नक ..... के अनुसार)	
14.7	निर्धारित प्रारूप-4 पर आगणन सम्बन्धी प्रपत्र	

## घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी में उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ०प्र० वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल ..... पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

**प्रारूप-4**

**उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आगणन-प्रपत्र  
(मेगा/सुपर मेगा वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों के लिए)**

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक				प्राप्ति का दिनांक

**1- वितरण के स्तर पर जमा की जाने वाली सूचना एवं दस्तावेज**

क्रम सं०	विवरण	ब्यौरा
1.1	आवेदक का नाम और पता	
1.2	मौजूदा/प्रस्तावित औद्योगिकउपक्रम का परियोजनास्थल	
1.3	किए गये वास्तविक पूंजी निवेश का चरणबद्ध विवरण एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथियाँ (उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अथवा सनदी लेखाकार (CA) का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।	

**2- वस्त्र औद्योगिक उपक्रम में पात्र पूंजीगत निवेश का ब्यौरा**

क्र०सं०	मद	नया/मौजूदा	विस्तार/विविधिकरण	विस्तार/विविधिकरण के अधीन वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5
i	भूमि			
ii	भवन			
iii	अन्य निर्माण			
iv	संयंत्र और मशीनरी			
v	अवस्थापना सुविधार्ये			
	कुल			

**3- वस्त्र औद्योगिक उपक्रम द्वारा किये गये पूंजीगत निवेश :-**

3.1 पूंजीगत निवेश का विवरण (धनराशि लाख ₹० में)								
क्रम सं०	घटक	परियोजना लागत		वास्तविक पूंजी निवेश (वैधानिक आडिट प्रमाण-पत्र के अनुसार)				कुल योग
		डी.पी.आर. के अनुसार	एप्रैजल के अनुसार	कट आफ डेट के पूर्व	कट आफ डेट व वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के मध्य (यदि चरणों में, तो चरणबद्ध पूंजी निवेश)	अंतिम चरण के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से अब तक (पात्र पूंजी निवेश अवधि तक)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	भूमि एवं साइट डेवलपमेन्ट					10 प्रतिशत	90 प्रतिशत	

ii	भवन एवं सिविल वर्क्स							
iii	संयंत्र और मशीनरी							
iv	विविध स्थयी परिसम्पत्तियाँ							
v	तकनीकी जानकारी (Technical knowhow) शुल्क							
vi	निर्माण अवधि के दौरान ब्याज							
vii	प्रारम्भिक एवं संचालन पूर्व (prel. and pre-operative) के खर्च							
viii	कार्यशील पूँजी हेतु मार्जिन मनी योग							
नोट :- कम संख्या (v), (vi), (vii) एवं (viii) में किया गया पूँजी अर्ह नहीं होगा।								

3.2 पूँजी निवेश के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज		संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
i	क्रय मूल्य को दर्शाता पंजीकृत अभिलेख (रजिस्ट्री)	
ii	हस्तान्तरित भूमि पर देय स्टाम्प ड्यूटी के प्रमाण	
iii	रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान की पावती	
iv	यदि नीलामी में यू0पीएस0आई0डी0सी0 / डी0आई0 / एफ0आई0 / बैंकों से भूमि खरीदी है, भुगतान किये गये मूल्य के समर्थन में किये गये आवश्यक अभिलेख।	
v	निर्मित/निर्माण किये जाने वाले भवन तथा सिविल कार्यों की विस्तृत लागत अनुमान (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/अप्रेजल नोट के अनुसार) और इसके साथ वाहय परामर्शदाताओं/सी0ए0 फर्मों द्वारा तैयार ले-आउट प्लान और लागत अनुमान तथा साविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित लागत	
vi	स्कूटनी/वेरीफिकेशन एवं प्रमाणीकरण हेतु नियमावली के प्राविधानों के अनुसार आइटमवाइज संयंत्र एवं मशीनरी तथा विविध अचल परिसम्पत्तियों के मद में प्रस्तावित मूल्य/वास्तविक पूँजी निवेश को दर्शाते हुए विवरण।	
vii	नोडल एजेन्सी (पी0एम0ए0) के पैनल में शामिल सनदी लेखाकारों के माध्यम से शासनादेश के प्राविधान के अनुसार कम्पनी द्वारा किये गये पूँजीगत निवेश पर परीक्षण का प्रमाण-पत्र	
viii	नोडल एजेन्सी (पी0एम0ए0) के पैनल में शामिल परामर्शदाताओं/मूल्यांकनकर्ताओं/ इंजीनियर के माध्यम से साइट पर किये गये पूँजीगत निवेश (भूमि, भवन, संयंत्र तथा मशीनरी) के संस्थापन की जाँच/सत्यापन आख्या	

#### 4- सरकारी एजेन्सियों द्वारा भूमि आवंटन में सब्सिडी

क्र०	बिन्दु	विवरण	सम्बन्धित दस्तावेज
i	भूमि प्रदान करने वाली सरकारी संस्था का नाम व पता		भूमि क्रय एवं परियोजना लागत से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज संलग्न करें। (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .....)
ii	क्रय की गयी भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		
iii	सर्किल रेट के अनुसार क्रय की गयी भूमि की कीमत		
iv	भूमि क्रय कीमत के सापेक्ष देय सब्सिडी का प्रतिशत		
v	देय प्रतिशत के अनुसार सब्सिडी की धनराशि (रु०)		
vi	परियोजना लागत (रु०)		
vii	परियोजना लागत धनराशि का 5 प्रतिशत (रु०)		
viii	दावा धनराशि (बिन्दु v अथवा vii में वर्णित धनराशि, जो भी कम हो) (रु०)		

### 5- राज्य कर विभाग से छूट (नेट जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति)

5.1 जी०एस०टी० अधिनियम के अधीन अदा किये गये कर		विवरण	अपेक्षित दस्तावेज
i	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी जी.एस.टी.आई.एन.		संबन्धित अवधि के लिए राज्य सरकार के खाते में प्राप्त जीएसटी के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
ii	वित्तीय वर्ष _____ के लिए जमा किए गए जी.एस.टी. के सापेक्ष कर की राशि (रु०).		
iii	निर्मित उत्पाद के सापेक्ष जमा की गयी जीएसटी की राशि (रु०)		
iv	अवधि के दौरान जमा किये गये जीएसटी में से प्रतिपूर्ति हेतु पात्र राशि (रु०)		

5.2 इकाई द्वारा अदा किए गए जी.एस.टी. के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज		संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
i	वाणिज्यिक कर विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।	
ii	संबन्धित वित्तीय वर्ष के इकाई स्तरीय लेखा परीक्षित लेखे (जिसके लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति का दावा किया जा रहा है)	
iii	कम्पनी के लिए संबन्धित वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी लेखा परीक्षा रिपोर्ट।	
iv	इकाई के लिए संबन्धित वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, (सनदी लेखाकार, द्वारा प्रमाणित एकल (stand alone) एसजीएसटी विवरण/प्रतिवेदन)	
v	निर्मित माल/कारोबारी माल/कबाड/स्टाक टास्फर की बिक्री आदि के समाशोधन के लिए सी.ए. का प्रमाण पत्र और इनके सापेक्ष अलग अलग अदा किया गया जीएसटी	

## 6- पूँजीगत उपादान एवं ब्याज उपादान एवं मार्जिन मनी अनुदान

6.1 पूँजीगत उपादान/ब्याज उपादान सुविधा हेतु सम्बन्धित तथ्यों का विवरण				
क्र०	बिन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
1	2	3	4	5
i	बैंको/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार 2. संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र। 3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र। 4. कय की गयी संयंत्र और मशीनरी का विवरण (इन्वाइस सहित) 5. बैंक एग्जल रिपोर्ट	
ii	संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए स्वीकृत ऋण की राशि			
iii	ब्याज की दर			
iv	स्वीकृति की तारीख			
v	वितरण की तारीख सहित संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए वितरित ऋण की राशि			

6.2 लोन एकाउन्ट का विवरण						
क्र०	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (₹)
1	2	3	4	5	6	7

6.3 पूँजीगत उपादान हेतु आगणन तालिका						
परियोजना लागत धनराशि (₹)	कार्यरत कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या	देय वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा (₹) (नीति के बिन्दु 3.5.4 के अनुसार)	प्लान्ट एवं मशीनरी की कुल लागत धनराशि (₹)	देय पूँजीगत उपादान की धनराशि		दावा धनराशि (₹) कालम 4 अथवा कालम 7 में वर्णित धनराशि, जो भी कम हो
				प्रतिशत में	(₹ में) (कालम 5) X (कालम 6)	
1	2	4	5	6	7	7

6.4 ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन							
क्रम सं०	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान		ब्याज उपादान की अपेक्षित धनराशि			
		मूल धनराशि (रु०)	ब्याज	7 % की दर से अपेक्षित/देय ब्याज उपादान धनराशि (रु०)	अतिरिक्त 0.5 % उपादान की धनराशि यदि देय हो (रु०)	कुल धनराशि (रु०) (कालम-5 एवं कालम-6 का योग)	दावा धनराशि (रु०) (कालम-7 में वर्णित धनराशि अथवा रु० 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष, जो भी कम हो)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वर्ष-I ( )						
2.	वर्ष-II ( )						
3.	वर्ष-III ( )						
4.	वर्ष-IV ( )						
5.	वर्ष-V ( )						
6.	वर्ष-VI ( )						
7.	वर्ष-VII ( )						
	कुल						

6.5 मार्जिन मनी वित्तीय सहायता हेतु आगणन तालिका (रेशम उद्योग यथा :-चाकी कीट पालन, कोया उत्पादन, रीलिंग एवं स्पिनिंग हेतु)		
बैंक अप्रेजल के अनुसार पूंजी निवेश (रु०)	अजा/अजजा के अतिरिक्त अन्य उद्यमियों को देय 15 प्रतिशत के अनुसार मार्जिन मनी दावा धनराशि (रु०)	अजा/अजजा उद्यमियों को देय 20 प्रतिशत के अनुसार मार्जिन मनी दावा धनराशि (रु०)
1	2	3

## 7- अवस्थापना ब्याज उपादान की वित्तीय सुविधा का आगणन

7.1 अवस्थापना ब्याज उपादान सुविधा हेतु सम्बन्धित तथ्यों का विवरण				
क्र०	बिन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
1	2	3	4	5
i	बैंक/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिसे ऋण प्राप्त किया गया		1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार	
ii	अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि		2. संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र।	
iii	ब्याज की दर		3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।	
iv	स्वीकृति की तारीख		4. अवस्थापना सुविधाओं का विवरण (व्यय धनराशि, इन्वाइस, बिल-वाउचर सहित)	
v	संयंत्र और मशीनरी में ऋण निवेश की राशि वितरण की तारीखों सहित		5. बैंक अप्रेजल रिपोर्ट	

7.2 अवस्थापना ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन			
क्रम	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का	वर्ष के दौरान वित्तीय	अवस्थापना ब्याज उपादान की अपेक्षित धनराशि

सं०	आवेदन किया गया	संस्था को किया गया भुगतान		5 % की दर से अपेक्षित/देय ब्याज उपादान धनराशि (रु०)	अतिरिक्त 2.5 % उपादान की धनराशि यदि देय हो (रु०)	कुल धनराशि (रु०) (कालम-5 एवं कालम-6 का योग)
		मूल धनराशि (रु०)	ब्याज (रु०)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	आवेदित वर्ष में देय दावा धनराशि की गणना					
	वर्ष-I ( )					
	वर्ष-II ( )					
	वर्ष-III ( )					
	वर्ष-IV ( )					
	वर्ष-V ( )					
					योग (समग्र धनराशि)	
<b>B</b>	विगत वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि (रु०)					
<b>C</b>	प्रस्तर A व B में वर्णित धनराशियों का योग					
<b>D</b>	अतिरिक्त धनराशि (रु०) (Excess Amount)					
	नोट:- 3. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि रु० एक करोड़ से कम है, तो अतिरिक्त धनराशि शून्य होगी। 4. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि रु० एक करोड़ से अधिक है, तो अतिरिक्त धनराशि की गणना निम्नवत् की जायेगी :- अतिरिक्त धनराशि = (प्रस्तर C में वर्णित धनराशि) - (रु० एक करोड़)					
<b>E</b>	देय दावा धनराशि (रु०) (प्रस्तर A में वर्णित धनराशि) - (प्रस्तर D में वर्णित धनराशि)					

7.3 अवस्थापना ब्याज उपादान से सम्बन्धित लोन एकाउन्ट का विवरण						
क्र०	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6	7

### 8- कार्यशील पूँजी उपादान :-

8.1 कार्यशील पूँजी उपादान से सम्बन्धित तथ्य				
क्र०	बिन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
i	बैंक/वित्तीय संस्था का नाम व पता		1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार 2. कार्यशील पूँजी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र। 3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र। 4. अवस्थापना सुविधाओं का विवरण (व्यय धनराशि, इन्वाइस, बिल-वाउचर सहित) 5. बैंक एग्जल रिपोर्ट	
ii	कार्यशील पूँजी हेतु स्वीकृत सी०सी०एल० धनराशि (रु०)			
iii	स्वीकृत ब्याज दर			
iv	वितरित ऋण की धनराशि (रु०)			
v	वितरित ऋण के सापेक्ष के बैंक में जमा की गयी ब्याज की धनराशि (रु०)			



8.2 कार्यशील पूँजी हेतु बैंक में लोन एकाउन्ट का विवरण						
क्र०	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6	7

### 9- ई०पी०एफ० की प्रतिपूर्ति

क्र०	विवरण	दावा वर्ष	धनराशि	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
9.1	प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त श्रमिकों की संख्या				
9.2	क्या इकाई भारत सरकार की ई०पी०एफ० स्कीम रिफार्मर्स/ प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 03 वर्ष तक ई०पी०एफ० प्रतिपूर्ति की सहायता प्राप्त कर चुकी है। (यदि हाँ, तो ऐसी इकाईयों को 02 अतिरिक्त वर्षों तक देय)			1. मुख्य प्रोत्साहक/प्राधिकृत-की ओर से इस आशय का शपथ पत्र कि उपर्युक्त सभी विवरण सत्य है और इकाई में संबंधित वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए ..... श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का आवेदन किया गया है। 2. कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रपत्र-12 की प्रति। 3. ई.पी.एफ.ओ. या कर्मचारी के भविष्य निधि न्यास में अदा किए गये अंशदानों का महीना-वार ब्यौरा जिसे ईपीएफओ के संबंधित सक्षम अधिकारी/न्यास के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।	
9.3	विगत वर्षों में यदि ई०पी०एफ० प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है, तो उसका वर्षवार विवरण				
9.4	आवेदित वर्ष में किस दावा वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की मांग की गयी है ?				
9.5	दावा वित्तीय वर्ष में नियोक्ता अंशदान की धनराशि (रु०)				
9.6	देय प्रतिपूर्ति का प्रतिशत ( 100 से अधिक तथा 200 तक प्रत्यक्ष रोजगार वाली इकाई को नियोक्ता अंश का 50 प्रतिशत) ( 200 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार वाली इकाई को नियोक्ता अंश का 60 प्रतिशत)				
9.7	देय प्रतिपूर्ति की दावा धनराशि (रु०)				

### 10- माल-भाड़े की प्रतिपूर्ति

(प्रतिपूर्ति हेतु उसी माल-भाड़े की धनराशि को सम्मिलित किया जाये, जो सीधा इकाई से पोर्ट तक कम दूरी के रास्ते से वहन किया गया हो एवं उसका निर्यात किया गया हो)

10.1 माल भाड़ा प्रतिपूर्ति का आगणन					
क्र०	दावा वर्ष का क्रमांक (प्रथम/द्वितीय /तृतीय/चतुर्थ /पंचम)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष	इकाई से पोर्ट तक चुकाये माल भाड़ा की कुल धनराशि (रु०)	देय प्रतिपूर्ति का आगणन	
				प्रतिशत में	दावा धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6

									योग

10.2	माल-भाड़ा प्रतिपूर्ति हेतु अपेक्षित दस्तावेज	
	दस्तावेज का विवरण	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
i	शिपमेन्ट बिल की प्रति कस्टम द्वारा सत्यापित	
ii	कन्टेनर डिपो के बिल की प्रति	
iii	कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट की प्रति	
iv	आयात निर्यात कोड (IEC) की प्रति	
V	उ0प्र0 निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति	
vi	चुकाये गये माल-भाड़े की रसीद	

### 11- कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फिलिंग अनुदान

11.1	कौशल विकास हेतु भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता की कुल धनराशि (रु0)		अपेक्षित दस्तावेज (भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के साक्ष्य संलग्न पृष्ठ क्रमांक .....					
11.2	गैप फिलिंग अनुदान की गणना							
इकाई द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत प्रोजेक्ट की कुल लागत (रु0)	भारत सरकार से प्राप्त कुल वित्तीय सहायता		अवशेष प्रतिशत घटायें (100 प्रतिशत) - (कालम 3 में अंकित प्रतिशत)	देय अधिकतम वित्तीय सहायता				अनुदान हेतु दावा धनराशि (कालम-6 अथवा कालम-8 की धनराशि, जो भी कम हो (रु0)
	धनराशि (रु0)	कुल प्रोजेक्ट लागत के सापेक्ष वित्तीय सहायता का प्रतिशत		प्रतिशत के आधार पर		प्रशिक्षित एवं इकाई में रोजगार प्राप्त कर्मचारियों की संख्या के आधार पर		
				प्रतिशत में (25 प्रतिशत अथवा कालम-3 में वर्णित प्रतिशत, जो भी कम हो	धनराशि रु0 (कालम-2) X कालम-5	कर्मचारियों की संख्या	रु0 3300/- की दर से देय अधिकतम धनराशि (रु0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 12- रोजगार सृजन अनुदान

(यह वित्तीय सुविधा उन्हीं मेगा/सुपर मेगा गारमेन्टिंग इकाईयों को प्राप्त होगी, जो न्यूनतम 15,000 सिलाई मशीनें स्थापित हों)

क्र0	दावा वर्ष का क्रमांक (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष	श्रमिकों की कुल संख्या	प्रदत्त वेतन की कुल धनराशि	अनुदान हेतु प्रभावी माहों की कुल संख्या	रोजगार सृजन अनुदान की धनराशि (रु0) (कालम-6) X रु0 3200/-
1	2	3	4	5	6	7

### 13- संलग्न अन्य दस्तावेजों का विवरण

क्र०	दस्तावेज का विवरण	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
13.1	गरीबी रेखा से नीचे के कामगारों का विवरण, समर्थक दस्तावेजों सहित (कर्मचारी विशिष्ट संख्याएं, ईपीएफओ संख्या, बीपीएल कार्ड, कर्मचारी वेतन सूची (पे रोल) आदि)	
13.2	अनुसूचित जाति/जनजाति के कामगारों का विवरण समर्थक दस्तावेजों और कर्मचारी पे रोल सहित	
13.3	महिला कामगारों का विवरण कर्मचारी पे रोल सहित	
13.4	दिव्यांग श्रमिकों का विवरण कर्मचारी पे रोल सहित	
13.5	प्राप्त की गई स्टाम्प ड्यूटी छूट की विस्तृत गणना	
13.6	प्राप्त की गई मण्डी शुल्क छूट की विस्तृत गणना	
13.7	प्राप्त की गई विद्युत शुल्क छूट की विस्तृत गणना	

#### घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी ने उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमैन्टिंग पॉलिसी -2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गए लाभों की तत्काल वापसी कर देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल ..... पृष्ठ

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

**प्रारूप-5**

**उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र**

**(प्लग एण्ड प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा हेतु)**

**(गारमेन्टिंग वस्त्र इकाईयों के लिए)**

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिग्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

क्र०सं०	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	उद्यमी का नाम		1. प्लग-एण्ड प्ले सुविधा हेतु गारमेन्टिंग इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) संलग्न की जाये। (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... ) 2. प्रस्तावित स्थल पर "प्लग एण्ड प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर" की सुविधा हेतु उद्यमी द्वारा सहमति पत्र (एम0आ0यू0) संलग्न किया जाये। (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... )
2	पिता/पति का नाम		
3	उद्यमी का पता		
4	उद्यमी का आधार नं०		
5	प्रस्तावित स्थल का विवरण		
5.1	प्रस्तावित स्थल का पता		
5.2	इकाई की स्थापना हेतु आवश्यक कवर्ड एरिया (वर्ग मीटर)		
6	प्रस्तावित इकाई में अनुमानित पूँजी निवेश		
7	प्रस्तावित इकाई में अनुमानित रोजगार सृजन		
8	"प्लग एण्ड प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर" की सुविधा हेतु उद्यमी के स्तर से भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित किराया		

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी में उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल ..... पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

उद्यमी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

**प्रारूप-6**

**उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र  
(टेक्सटाइल पार्क/वस्त्र औद्योगिक आस्थान के लिए)**

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक				प्राप्ति का दिनांक

क्र0सं0	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	टेक्सटाइल पार्क/ वस्त्र औद्योगिक आस्थान का नाम		टेक्सटाइल पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) संलग्न की जाये। (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... )
2	टेक्सटाइल पार्क/वस्त्र औद्योगिक आस्थान के परियोजना स्थल का पता		
3	जनपद		
4	एस0पी0वी0 (स्पेशल परपज वेहिकल) का संगठन (कान्सटीट्यूशन)		
5	पार्क की भूमि का विवरण क्षेत्रफल		
5.1	क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेअर में)		
5.2	पूर्व से विद्यमान 30 मीटर चौड़ी सड़क दूरी एवं सम्पर्क मार्ग की स्थिति		
5.3	भूमि में जल निकासी व्यवस्था की स्थिति		
5.4	ट्रान्सफार्मर अथवा विद्युत उपकेन्द्र हेतु भूमि की उपलब्धता		
5.5	पुलिस स्टेशन हेतु भूमि की उपलब्धता		
5.6	फायर स्टेशन हेतु भूमि की उपलब्धता		
6	पार्क में अपेक्षित अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति		
6.1	ई0टी0पी0		
6.2	पेयजल की सुविधा		
6.3	वर्षाजल संचयन की सुविधा		
6.4	पार्किंग की सुविधा		
6.5	अन्य प्रचालन तन्त्र का विवरण		
6.6	मल जल निस्तारण प्रणाली अथवा ट्रंक सीवेज की स्थिति		

**7. आवेदक द्वारा प्रार्थित/आवेदित वित्तीय सुविधाओं का विवरण**

क्र0सं0	मद	राशि (रु0)
7.1	समस्त वित्तीय सुविधाओं की कुल धनराशि (रु0)	
	आवेदित वित्तीय सुविधाओं का विवरण	
7.2	भूमि लागत ब्याज उपादान	
7.3	अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ब्याज उपादान	
7.4	टेक्सटाइल पार्क/ अस्थानों में स्टाफ क्वार्टर/ हास्टल/	

	डोरमेट्री के निर्माण हेतु ब्याज उपादान	
7.5	स्टाम्प ड्यूटी में छूट	

8. संलग्न सहायक दस्तावेजों का विवरण

क्र०	विवरण	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
8.1	समस्त अनुसूचियों सहित इकाई के लेखा परीक्षित लेखे (चालू वित्त वर्ष के साथ-साथ पिछले पाँच वर्ष)	
8.2	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	
8.3	मौजूदा सकल परिसम्पत्तियों हेतु सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र	
8.4	सकल ब्लॉक के समर्थन में मौजूदा वस्त्र औद्योगिक उपक्रम की स्थायी परिसम्पत्तियों की सनदी अभियंता द्वारा प्रमाणित सूची	
8.5	शपथपत्र (रु० 10 के स्टाम्प पेपर पर अनुलग्नक-1 के अनुसार)	

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी में उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ०प्र० वस्त्र एवं गारमेटिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल ..... पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

**प्रारूप-7**

**उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र  
(टेक्सटाइल पार्क/औद्योगिक आस्थान के लिए)**

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक				प्राप्ति का दिनांक

**12- वितरण के स्तर पर जमा की जाने वाली सूचना एवं दस्तावेज**

क्रम सं0	विवरण	ब्यौरा
1.1	आवेदक का नाम और पता	
1.2	मौजूदा/प्रस्तावित औद्योगिक उपक्रम का परियोजना स्थल	
1.3	किए गये वास्तविक पूंजी निवेश का चरणबद्ध विवरण एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथियाँ (उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अथवा सनदी लेखाकार (CA) का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।	

**13- टेक्सटाइल पार्क/औद्योगिक आस्थान में पात्र पूंजीगत निवेश का ब्यौरा**

क्र0सं0	मद	नया/मौजूदा	विस्तार/विविधिकरण	विस्तार/विविधिकरण के अधीन वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5
i	भूमि			
ii	भवन			
iii	अन्य निर्माण			
iv	संयंत्र और मशीनरी			
v	अवस्थापना सुविधार्यें			
	कुल			

**14- वस्त्र औद्योगिक उपक्रम द्वारा किये गये पूंजीगत निवेश का विवरण (धनराशि लाख रू0 में)**

3.1 पूंजीगत निवेश का विवरण (धनराशि लाख रू0 में)								
क्रम सं0	घटक	परियोजना लागत		वास्तविक पूंजी निवेश (वैधानिक आडिट प्रमाण-पत्र के अनुसार)				कुल योग
		डी.पी.आर. के अनुसार	एप्रैजल के अनुसार	कट आफ डेट के पूर्व	कट आफ डेट व वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के मध्य (यदि चरणों में, तो चरणबद्ध पूंजी निवेश)	अंतिम चरण के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से अब तक (पात्र पूंजी निवेश अवधि तक)		
						10 प्रतिशत	90 प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	भूमि एवं साइट डेवलपमेन्ट							
ii	भवन एवं सिविल वर्क्स							
iii	संयंत्र और मशीनरी							

iv	विविध स्थयी परिसम्पत्तियाँ							
v	तकनीकी जानकारी (Technical knowhow) शुल्क							
vi	निर्माण अवधि के दौरान ब्याज							
vii	प्रारम्भिक एवं संचालन पूर्व (prel. and pre-operative) के खर्चे							
viii	कार्यशील पूँजी हेतु मार्जिन मनी योग							
नोट :- कम संख्या (v), (vi), (vii) एवं (viii) में किया गया पूँजी अर्ह नहीं होगा।								

3.2 पूँजी निवेश के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज		संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
i	क्रय मूल्य को दर्शाता पंजीकृत अभिलेख (रजिस्ट्री)	
ii	हस्तान्तरित भूमि पर देय स्टाम्प ड्यूटी का प्रमाण	
iii	रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान की पावती	
iv	यदि नीलामी में यू0पीएस0आई0डी0सी0/डी0आई0/एफ0आई0/बैंकों से भूमि खरीदी है, भुगतान किये गये मूल्य के समर्थन में किये गये आवश्यक अभिलेख।	
v	निर्मित/निर्माण किये जाने वाले भवन तथा सिविल कार्यों की विस्तृत लागत अनुमान (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/अप्रेजल नोट के अनुसार) और इसके साथ वाहय परामर्शदाताओं/सी0ए0 फर्मों द्वारा तैयार ले-आउट प्लान और लागत अनुमान तथा साविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित लागत	
vi	स्कूटनी/वैरीफिकेशन एवं प्रमाणीकरण हेतु नियमावली के प्राविधानों के अनुसार आइटमवाइज संयंत्र एवं मशीनरी तथा विविध अचल परिसम्पत्तियों के मद में प्रस्तावित मूल्य/वास्तविक पूँजी निवेश को दर्शाते हुए विवरण।	
vii	नोडल एजेन्सी (पी0एम0ए0) के पैनल में शामिल सनदी लेखाकारों के माध्यम से शासनादेश के प्राविधान के अनुसार कम्पनी द्वारा किये गये पूँजीगत निवेश पर परीक्षण का प्रमाण-पत्र	
viii	नोडल एजेन्सी (पी0एम0ए0) के पैनल में शामिल परामर्शदाताओं/मूल्यांकनकर्ताओं/इंजीनियर के माध्यम से साइट पर किये गये पूँजीगत निवेश (भूमि, भवन, संयंत्र तथा मशीनरी) के संस्थापन की जाँच/सत्यापन आख्या	

## 15- भूमि लागत ब्याज उपादान

(यह सुविधा गौतमबुद्ध नगर में स्थापित टेक्सटाइल पार्क/वस्त्र औद्योगिक आस्थानों हेतु देय नहीं है)

4.1 भूमि लागत ब्याज उपादान सुविधा हेतु सम्बन्धित तथ्यों का विवरण				
क्र०	बिन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
1	2	3	4	5
i	भूमि विक्रेताओं का विवरण		1. भूमि क्रय एवं परियोजना लागत से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज संलग्न करें। (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक .....)	
ii	क्रय की गयी भूमि का क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)			
iii	सर्किल रेट के अनुसार क्रय की गयी भूमि की कीमत			
iv	बैंको/वित्तीय संस्थाओं का नाम और		2. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार	



	पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र। 4. बैंक अप्रैजल रिपोर्ट
v	टेक्सटाइल पार्क/वस्त्र औद्योगिक आस्थान हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि (₹0)		
vi	ब्याज की दर		
vii	स्वीकृति की तारीख		

4.2 भूमि लागत ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन					
क्रम सं०	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान		अवस्थापना ब्याज उपादान की अपेक्षित धनराशि	
		मूल धनराशि (₹0)	ब्याज (₹0)	50 % की दर से आगणित ब्याज उपादान धनराशि (₹0)	देय ब्याज उपादान की धनराशि (कालम-5 में वर्णित धनराशि अथवा ₹0 01 करोड़ जो भी कम हो) (₹0)
1	2	3	4	5	6
i	वर्ष-I ( )				
ii	वर्ष-II ( )				
iii	वर्ष-III ( )				
iv	वर्ष-IV ( )				
v	वर्ष-V ( )				
vi	वर्ष-VI ( )				
vii	वर्ष-VII ( )				

4.3 भूमि लागत ब्याज उपादान से सम्बन्धित लोन एकाउन्ट का विवरण						
क्र०	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (₹0)
1	2	3	4	5	6	7

## 16- अवस्थापना ब्याज उपादान की वित्तीय सुविधा का आगणन

5.1 अवस्थापना ब्याज उपादान सुविधा हेतु सम्बन्धित तथ्यों का विवरण				
क्र०	विन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
1	2	3	4	5
i	बैंक/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार 2. अवस्थापना सुविधाओं के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र।	
ii	अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि		3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।	
iii	ब्याज की दर		4. अवस्थापना सुविधाओं का विवरण (व्यय धनराशि, इन्वाइस, बिल-वाउचर सहित)	
iv	स्वीकृति की तारीख		5. बैंक एप्रैजल रिपोर्ट	
v	संपत्र और मशीनरी में ऋण निवेश की राशि वितरण की तारीखों सहित			

5.2 अवस्थापना ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन			
क्रम	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को	अवस्थापना ब्याज उपादान की अपेक्षित धनराशि

सं०	आवेदन किया गया	किया गया भुगतान		60 % की दर से आगणित ब्याज उपादान धनराशि (रु०)	देय ब्याज उपादान की धनराशि (कालम-5 में वर्णित धनराशि अथवा रु० 10 करोड़ जो भी कम हो)
		मूल धनराशि (रु०)	ब्याज (रु०)		
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	आवेदित वर्ष में देय दावा धनराशि की गणना				
	वर्ष-I ( )				
	वर्ष-II ( )				
	वर्ष-III ( )				
	वर्ष-IV ( )				
	वर्ष-V ( )				
	वर्ष-VI ( )				
	वर्ष-VII ( )				
				योग (समग्र धनराशि)	
<b>B</b>	विगत वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि (रु०)				
<b>C</b>	प्रस्तर A व B में वर्णित धनराशियों का योग				
<b>D</b>	अतिरिक्त धनराशि (रु०) (Excess Amount) की गणना				
	1. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि रु० एक करोड़ से कम है, तो अतिरिक्त धनराशि शून्य होगी।				
	2. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि रु० एक करोड़ से अधिक है, तो अतिरिक्त धनराशि की गणना निम्नवत् की जायेगी :- अतिरिक्त धनराशि = (प्रस्तर C में वर्णित धनराशि) - (रु० 50 करोड़)				
<b>E</b>	देय दावा धनराशि (रु०) (प्रस्तर A में वर्णित धनराशि) - (प्रस्तर D में वर्णित धनराशि)				

5.3 अवस्थापना ब्याज उपादान से सम्बन्धित लोन एकाउन्ट का विवरण						
क०	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6	7

## 17- स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री के निर्माण हेतु ब्याज उपादान

6.1 स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री निर्माण से सम्बन्धित तथ्यों का विवरण				
क०	बिन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
1	2	3	4	5
i	बैंक/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार	
ii	स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि		2. स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र।	
iii	ब्याज की दर		3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।	
iv	स्वीकृति की तारीख		4. स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री का विवरण (व्यय धनराशि, इन्वाइस, बिल-वाउचर सहित)	
v	स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री में ऋण निवेश की राशि वितरण की तारीखों सहित		5. बैंक अप्रैजल रिपोर्ट	

6.2 स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री निर्माण हेतु बैंक से लिये गये ऋण पर ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन						
क्रम सं०	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान		अवस्थापना ब्याज उपादान की अपेक्षित धनराशि		
		मूल धनराशि (रु०)	ब्याज (रु०)	60 % की दर से आगणित ब्याज उपादान धनराशि (रु०)	देय ब्याज उपादान की धनराशि (कालम-5 में वर्णित धनराशि अथवा रु० 5 करोड़ जो भी कम हो)	
1	2	3	4	5	6	
<b>A</b>	आवेदित वर्ष में देय दावा धनराशि की गणना					
	वर्ष-I ( )					
	वर्ष-II ( )					
	वर्ष-III ( )					
	वर्ष-IV ( )					
	वर्ष-V ( )					
	वर्ष-VI ( )					
	वर्ष-VII ( )					
					योग (समग्र धनराशि )	
<b>B</b>	विगत वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि (रु०)					
<b>C</b>	प्रस्तर A व B में वर्णित धनराशियों का योग					
<b>D</b>	अतिरिक्त धनराशि (रु०) (Excess Amount) की गणना					
	1. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि रु० एक करोड़ से कम है, तो अतिरिक्त धनराशि शून्य होगी।					
	2. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि रु० एक करोड़ से अधिक है, तो अतिरिक्त धनराशि की गणना निम्नवत् की जायेगी :- अतिरिक्त धनराशि = (प्रस्तर C में वर्णित धनराशि) - (रु० 30 करोड़)					
<b>E</b>	देय दावा धनराशि (रु०) (प्रस्तर A में वर्णित धनराशि) - (प्रस्तर D में वर्णित धनराशि)					
<b>6.3 स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री निर्माण हेतु बैंक से लिये गये ऋण से सम्बन्धित लोन एकाउन्ट का विवरण</b>						
क्र०	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6	7

## 18- संलग्न अन्य दस्तावेजों का विवरण

क्र०	दस्तावेज का विवरण	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
7.1	प्राप्त की गई स्टाम्प ड्यूटी छूट की विस्तृत गणना	

### घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी ने उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेटिंग पॉलिसी -2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गए लाभों की तत्काल वापसी कर देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल ..... पृष्ठ

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम और कार्यालय महर सहित

**प्रारूप-8**

**उप्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र**

**(गुणवत्ता विकास उपादान की सुविधा हेतु)**

**(वस्त्र औद्योगिक इकाईयों के समूह/संघ के लिए)**

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

क्र०सं०	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	वस्त्र औद्योगिक इकाईयों के समूह/संघ का नाम एवं पता		1. समूह के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र, नियम-शर्तें (बाईलाज) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... )
2	पंजीकरण संख्या व दिनांक		2. समूह में सम्मिलित इकाईयों का विवरण (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... )
3	पंजीकरण करने वाले विभाग का नाम		3. गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) संलग्न की जाये।
4	समूह में सम्मिलित इकाईयों की संख्या		(संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... ) 4. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार
5	गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु प्रस्तावित पूंजी निवेश		5. संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र।
6	गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की अनुमानित वार्षिक आय (रु०)		6. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।
7	परीक्षण प्रयोगशाला हेतु बैंक से लिये गये ऋण का विवरण		7. अवस्थापना सुविधाओं का विवरण (व्यय धनराशि, इन्वाइस, बिल-वाउचर सहित)
7(i)	बैंको/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		8. बैंक एग्जल रिपोर्ट
7(ii)	अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि		
7(iii)	ब्याज की दर		
7(iv)	स्वीकृति का दिनांक		
7(v)	संयंत्र और मशीनरी में ऋण निवेश की धनराशि वितरण के दिनांक सहित		

8. गुणवत्ता विकास ब्याज उपादान से सम्बन्धित लोन एकाउन्ट का विवरण						
क्र०	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6	7

9. गुणवत्ता विकास ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन						
क्रम सं०	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान		गुणवत्ता विकास ब्याज उपादान की अपेक्षित धनराशि		
		मूल धनराशि (रु०)	ब्याज (रु०)	5 % की दर से अपेक्षित/देय ब्याज उपादान धनराशि (रु०)	अतिरिक्त 2.5 % उपादान की धनराशि यदि देय हो (रु०)	कुल धनराशि (रु०) (कालम-6 एवं कालम-7 का योग)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	आवेदित वर्ष में देय दावा धनराशि की गणना					
	वर्ष-I ( )					
	वर्ष-II ( )					
	वर्ष-III ( )					
	वर्ष-IV ( )					
	वर्ष-V ( )					
					योग (समग्र धनराशि )	
<b>B</b>	विगत वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि (रु०)					
<b>C</b>	प्रस्तर A व B में वर्णित धनराशियों का योग					
<b>D</b>	अतिरिक्त धनराशि (रु०) (Excess Amount) की गणना					
	5. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि रु० एक करोड़ से कम है, तो अतिरिक्त धनराशि शून्य होगी।					
	6. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि रु० एक करोड़ से अधिक है, तो अतिरिक्त धनराशि की गणना निम्नवत् की जायेगी :- अतिरिक्त धनराशि = (प्रस्तर C में वर्णित धनराशि) - (रु० एक करोड़)					
<b>E</b>	देय दावा धनराशि (रु०) (प्रस्तर A में वर्णित धनराशि) - ( प्रस्तर D में वर्णित धनराशि)					

#### घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी ने उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ०प्र० वस्त्र एवं गारमैन्टिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल ..... पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

उद्यमी के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

**प्रारूप-9**

**उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र  
(कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फिलिंग)**

(वस्त्र औद्योगिक इकाईयों के समूह/संघ के लिए)

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक
---	----------------------	----------	------------------	-----------------------

क्र0सं0	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	वस्त्र औद्योगिक इकाईयों के समूह/संघ का नाम एवं पता		1. समूह के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र, नियम-शर्तें (बाईलाज) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... )
2	पंजीकरण संख्या व दिनांक		2. समूह में सम्मिलित इकाईयों का विवरण (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... )
3	पंजीकरण करने वाले विभाग का नाम		3. कौशल विकास हेतु भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के साक्ष्य (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... )
4	समूह में सम्मिलित इकाईयों की संख्या		

**5. कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फिलिंग अनुदान**

5.1	कौशल विकास हेतु भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता की कुल धनराशि (रु0)		अपेक्षित दस्तावेज (भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के साक्ष्य संलग्न पृष्ठ क्रमांक .....)					
5.2	गैप फिलिंग अनुदान की गणना							
समूह द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत प्रोजेक्ट की कुल लागत (रु0)	भारत सरकार से प्राप्त कुल वित्तीय सहायता		अवशेष प्रतिशत घटायें (100 प्रतिशत) - (कालम 3 में अंकित प्रतिशत)		देय अधिकतम वित्तीय सहायता			अनुदान हेतु दावा धनराशि (कालम-6 अथवा कालम-8 की धनराशि जो भी कम हो (रु0))
	धनराशि (रु0)	कुल प्रोजेक्ट लागत के सापेक्ष वित्तीय सहायता का प्रतिशत	प्रतिशत के आधार पर	प्रतिशत में (25 प्रतिशत अथवा कालम-3 में वर्णित प्रतिशत, जो भी कम हो)	धनराशि रु0 (कालम-2) X कालम-5	प्रशिक्षित एवं इकाई में रोजगार प्राप्त कर्मचारियों की संख्या के आधार पर	कर्मचारियों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी में उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का सवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल ..... पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

**प्रारूप-10**

**उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र  
(कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फिलिंग)**

एन0जी0ओ0 (गैर सरकारी संगठन) के लिये

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक				प्राप्ति का दिनांक

क्र0सं0	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	एन0जी0ओ0 का नाम एवं पता		1. समूह के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र, नियम-शर्तें (बाईलाज) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... ) 2. समूह में सम्मिलित इकाईयों का विवरण (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... ) 3. कौशल विकास हेतु भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के साक्ष्य (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... )
2	पंजीकरण संख्या व दिनांक		
3	पंजीकरण करने वाले विभाग का नाम		
4	समूह में सम्मिलित इकाईयों की संख्या		

**6. कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फिलिंग अनुदान**

5.1	कौशल विकास हेतु भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता की कुल धनराशि (रु0)				अपेक्षित दस्तावेज (भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के साक्ष्य संलग्न पृष्ठ क्रमांक .....)			
5.2	<b>गैप फिलिंग अनुदान की गणना</b>							
एन0जी0ओ0 द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत प्रोजेक्ट की कुल लागत (रु0)	भारत सरकार से प्राप्त कुल वित्तीय सहायता		अवशेष प्रतिशत घटाये (100 प्रतिशत) - (कालम 3 में अंकित प्रतिशत)	देय अधिकतम वित्तीय सहायता			अनुदान हेतु दावा धनराशि (कालम-6 अथवा कालम-8 की धनराशि, जो भी कम हो (रु0))	
	धनराशि (रु0)	कुल प्रोजेक्ट लागत के सापेक्ष वित्तीय सहायता का प्रतिशत		प्रतिशत के आधार पर		प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की संख्या के आधार पर		
				प्रतिशत में (25 प्रतिशत अथवा कालम-3 में वर्णित प्रतिशत, जो भी कम हो)	धनराशि रु0 (कालम-2) X कालम-5	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	रु0 3300/- की दर से देय अधिकतम धनराशि (रु0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी में उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल ..... पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

**प्रारूप-11 अ**

**उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र**

**( भारत सरकार द्वारा स्वीकृत क्लस्टरों में राज्य सरकार द्वारा गैप फिलिंग सुविधा)**

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड		जनपद कोड		आवेदन का क्रमांक				प्राप्ति का दिनांक

**समिति का विवरण**

1	ब्लॉक स्तर क्लस्टर का नाम क्रियान्वयन संस्था का नाम एवं पता																																																		
2	पंजीकरण संख्या एवं दिनांक																																																		
3	समिति का प्रकार (अ) प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समिति (ब) शीर्ष हथकरघा समिति																																																		
4	समिति में बुनकरों की कुल संख्या																																																		
5	करघा रहित बुनकरों की कुल संख्या																																																		
6	करघा सहित बुनकरों की कुल संख्या (अ) सक्रिय (ब) निष्क्रिय																																																		
7	योजना में मदवार शामिल किये जाने के लिए प्रस्तावित बुनकरों की कुल संख्या	<table border="1"> <tr> <th>बुनकरों की श्रेणी</th> <th>पुरुष</th> <th>महिला</th> <th>तकनीकी उन्नयन</th> <th>एकल कार्यशाला में लाभान्वित बुनकरों की कुल संख्या</th> <th>संयुक्त कार्यशाला में लाभान्वित बुनकरों की कुल संख्या</th> <th>बुनकरों की कुल संख्या</th> </tr> <tr> <td>सामान्य</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>अनु0जाति</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>अनु0जनजाति</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>अल्पसंख्यक</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>अन्य पि0वर्ग</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">योग</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	बुनकरों की श्रेणी	पुरुष	महिला	तकनीकी उन्नयन	एकल कार्यशाला में लाभान्वित बुनकरों की कुल संख्या	संयुक्त कार्यशाला में लाभान्वित बुनकरों की कुल संख्या	बुनकरों की कुल संख्या	सामान्य							अनु0जाति							अनु0जनजाति							अल्पसंख्यक							अन्य पि0वर्ग							योग						
बुनकरों की श्रेणी	पुरुष	महिला	तकनीकी उन्नयन	एकल कार्यशाला में लाभान्वित बुनकरों की कुल संख्या	संयुक्त कार्यशाला में लाभान्वित बुनकरों की कुल संख्या	बुनकरों की कुल संख्या																																													
सामान्य																																																			
अनु0जाति																																																			
अनु0जनजाति																																																			
अल्पसंख्यक																																																			
अन्य पि0वर्ग																																																			
योग																																																			
8	समिति का टर्नओवर	<table border="1"> <tr> <th>विवरण</th> <th>वर्ष ( )</th> <th>वर्ष ( )</th> </tr> <tr> <td>पिछले वित्तीय वर्षों का बिक्री का टर्नओवर</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>शुद्ध लाभ</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	विवरण	वर्ष ( )	वर्ष ( )	पिछले वित्तीय वर्षों का बिक्री का टर्नओवर			शुद्ध लाभ																																										
विवरण	वर्ष ( )	वर्ष ( )																																																	
पिछले वित्तीय वर्षों का बिक्री का टर्नओवर																																																			
शुद्ध लाभ																																																			
9	समिति के मुख्य हथकरघा उत्पाद	<table border="1"> <tr> <th>वर्तमान</th> <th>प्रत्याशित</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	वर्तमान	प्रत्याशित																																															
वर्तमान	प्रत्याशित																																																		
10	परियोजना प्रस्ताव का उद्देश्य																																																		

समिति/संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर  
मुहर सहित

सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर एवं मुहर



**प्रारूप-11 ब**

**उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र**

**( भारत सरकार द्वारा स्वीकृत क्लस्टरों में राज्य सरकार द्वारा गैप फिलिंग सुविधा)**

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड		जनपद कोड		आवेदन का क्रमांक				प्राप्ति का दिनांक

**प्रति समिति के आधारभूत सर्वेक्षण के लिए प्रपत्र**

क्रियान्वयन संस्था का नाम--

पता--

क्लस्टर का नाम --

पंजीकरण संख्या--

गाँव एवं डाकखाना--

जिला--

राज्य--

परिक्षेत्रीय कार्यालय का नाम--

समिति में शामिल बुनकरों की संख्या--

लाभान्वित किये जाने वाले बुनकरों की संख्या--

आपेक्षित कुल सहायता (लाख ₹0 में)--

क्र० सं०	बुनकर का नाम	पिता/पति का नाम	पता	पुरुष	महिला	आयु	बुनकर की स्थिति		करघा की स्थिति		परिवार की आय प्रतिमाह	धर्म	जाति	एक वर्ष में कार्यरत दिनों की संख्या
							करघा सहित (हाँ/नहीं)	करघा रहित (हाँ/नहीं)	चालू (हाँ/नहीं)	बन्द (हाँ/नहीं)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

करघे का प्रकार	करघों की संख्या	प्रयुक्त होने वाले यार्न का प्रकार	उत्पाद का विवरण	अपेक्षित सहायता									
				प्रौद्योगिकी उन्नयन									
				नये करघे की संख्या	जैकार्ड की संख्या	मोटराईज जैकार्ड	एसेसरीज की संख्या	मल्टीपल बूटी वीविंग स्ले	टेक आफ एण्ड लेट आफ मोशन	वार्प बीम एण्ड फैब्रिक बीम	नार्मल वार्पिंग मशीन	मोटराईज वार्पिंग मशीन	मोटराईज ज प्लेन वाइडिंग मशीन
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

वर्तमान में कार्यशाला की स्थिति			अपेक्षित सहायता		अभ्युक्ति
क्या कार्यशाला है (हाँ/नहीं)	बी०पी०एल०/ए०पी०एल०	क्या कार्यशाला की आवश्यकता है (हाँ/नहीं)	एकल/संयुक्त कार्यशाला निर्माण से लाभान्वित होने वाले बुनकरों का विवरण		
			01 करघा	04 करघों या उससे अधिक	
30	31	32	33	34	35

समिति/संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर  
मुहर सहित

सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर एवं मुहर

**प्रारूप-11 स**

**उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र**

(भारत सरकार द्वारा स्वीकृत क्लस्टरों में राज्य सरकार द्वारा गैप फिलिंग सुविधा)

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड		जनपद कोड		आवेदन का क्रमांक				प्राप्ति का दिनांक

**वित्तीय प्रपत्र**

क्र0 सं0	मद का नाम	1-प्रौद्योगिकी उन्नयन (लाख रू0 में0) (राज्यांश 90 प्रतिशत एवं लाभार्थी अंश 10 प्रतिशत)			
		संख्या	राज्य सरकार का अंश	लाभार्थी अंश	कुल
1	2	3	4	5	6
1	नये करघे अ- 60" तक रू0 25,000/- एक मुश्त ब- 60" से अधिक रू0 40,000/- एक मुश्त				
2	जैकार्ड के लिए रू0 15,000/- एक मुश्त				
3	मोटारइज जैकार्ड के लिए रू0 15,000/- एक मुश्त				
4	एससरीज (हील्डस,रीड, बॉबिन,शटल, हार्नेस) के लिए रू0 4,000/- एक मुश्त				
5	मल्टीपल बूटी वीविंग स्ले रू0 7,000/- एक मुश्त				
6	टेक आफ एण्ड लेट आफ मोशन रू0 5,000/- एक मुश्त				
7	वार्प बीम एण्ड फैंब्रिक बीम रू0 5,000/- एक मुश्त				
8	नार्मल वार्विंग मशीन रू0 25,000/- एक मुश्त				
9	मोटारइज वार्विंग मशीन रू0 45,000/- एक मुश्त				
10	मोटारइज पर्न वाइडिंग मशीन रू0 3,000/- एक मुश्त				
	योग				
2- कार्यशाला निर्माण (लाख रू0 में)					
	एकल कार्यशाला हेतु रू0 70,000/- एक मुश्त (एससी/एसटी/महिला/बीपीएल हेतु 100 प्रतिशत एवं अन्य हेतु 75 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 25 प्रतिशत लाभार्थी अंश)				
	04 करघों या उससे अधिक हेतु (संयुक्त कार्यशाला निर्माण) रू0 2,50,000/- एक मुश्त (एससी/एसटी/महिला/बीपीएल हेतु 100 प्रतिशत एवं अन्य हेतु 75 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 25 प्रतिशत लाभार्थी अंश)				
	कुल योग (1+2)				

**नोट- अतिरिक्त व्यय बुनकर द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।**

**समिति/संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर  
मुहर सहित**

**सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर एवं मुहर**

**प्रारूप-12**

**उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र**

**(कताई-बुनाई विषय के कालेजों को प्रायोगिक कार्य हेतु अनुदान)**

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

क्र0सं0	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	कालेज का नाम एवं पता		1. कालेज के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... ) 2. कालेज के प्रधानाचार्य/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण का साक्ष्य (आधार कार्ड सहित) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... ) 3. प्रायोगिक कार्य की डी0पी0आर0 (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... )
2	पंजीकरण संख्या व दिनांक		
3	कालेज को मान्यता प्रदान करने वाले बोर्ड का नाम		
4	वित्तपोषण के परिप्रेक्ष्य में कालेज की स्थिति		
5	कालेज के प्रधानाचार्य/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण		
5(i)	नाम		
5(ii)	पदनाम		
5(iii)	मोबाइल नं0		
5(iv)	ई-मेल आई0 डी0		
5(v)	आधार नं0		
6	कालेज में कताई-बुनाई विषय में अध्ययनरत छात्रों की संख्या (कक्षावार)		
7	प्रायोगिक कार्य हेतु प्रस्तावित धनराशि (रु0)		

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी में उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल ..... पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

**प्रारूप-13**

**वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति 2017 में वर्णित "कटाई-बुनाई विषय के छात्रों को छात्रवृत्ति" सुविधा हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप**

आवेदन-पत्र की पहचान संख्या (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक				आवेदन प्राप्ति की तिथि

सेवा में,

प्रधानाचार्य,  
विद्यालय .....

पता.....

छात्र/छात्रा का  
नवीनतम फोटो  
  
परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा  
प्रमाणित

महोदय,

मैं उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति 2017 में वर्णित "कटाई-बुनाई विषय के छात्रों को छात्रवृत्ति" सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा/रही हूँ। मुझसे सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है :-

1	छात्र/छात्रा का नाम-	
2	पिता का नाम-	
3	जन्म तिथि-	
4	पता-	
5	आधार नम्बर- (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की जाये)	
6	मोबाइल नं०	
7	लिंग (पुरुष/महिला)	
8	वर्ग (सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0)	
9	विकलांगता की स्थिति (विकलांग/गैर-विकलांग)	
10	अल्पसंख्यक/गैर-अल्पसंख्यक	
11	छात्र की वर्तमान अध्ययन स्थिति (12वीं कक्षा में अध्ययनरत अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण)	

12- भौक्षिक योग्यता का विवरण

(उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की छायाप्रति संलग्न की जाये)

क्र०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विशय	विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति	वर्तमान वर्ष में देय छात्रवृत्ति (रु०)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
				योग	

13- बैंक खाते का विवरण

(बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न की जाये)

क्र०	बैंक का नाम	खाताधारक का नाम, जैसा कि बैंक पासबुक में है	बैंक-खाता का नाम	विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति	वर्तमान वर्ष में देय छात्रवृत्ति (रु०)
1	2	3	4	5	6

दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

**प्रारूप-14**

**वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति 2017 में वर्णित 'हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मी को मानदेय' सुविधा हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप**

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड		जनपद कोड		आवेदन का क्रमांक				प्राप्ति का दिनांक

सेवा में,

सचिव/सभापति

मेसर्स.....

जन्पद.....

महोदय,

सहायक कर्मी का  
नवीनतम फोटो  
  
परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा  
प्रमाणित

मैं उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति 2017 में वर्णित "हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मी को मानदेय" सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा/रही हूँ। मुझसे सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है :-

1	सहायक बुनकर का नाम-	
2	पिता का नाम-	
3	जन्म तिथि-	
4	पता-	
5	सहायक कर्मी का वर्तमान कार्य	
6	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	
5	आधार नम्बर- (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की जाये)	
6	मोबाइल नं0	
7	लिंग (पुरुष/महिला)	
8	वर्ग (सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0फि0व0)	
9	विकलांगता की स्थिति (विकलांग/गैर-विकलांग)	
10	अल्पसंख्यक/गैर-अल्पसंख्यक	

11- बैंक खाते का विवरण

(बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न की जाये)

क्र0	बैंक का नाम	खाताधारक का नाम, जैसा कि बैंक पासबुक में है	बैंक- शाखा का नाम	विगत वर्ष में प्राप्त मानदेय	वर्तमान वर्ष में देय मानदेय (रु0)
1	2	3	4	5	6

**घोशणा :-**मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन है/हूँ। मेरे द्वारा दी गयी सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि कोई तथ्य भ्रामक/असत्य पाया जाता है तो उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन समस्त प्रतिपूर्ति की धनराशि की वसूली की जा सकती है।

दिनांक :

(सहायक कर्मी के हस्ताक्षर)

प्रारूप-15 अ

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र  
( प्रदेश के बाहर महानगरों में आयोजित प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता व्यय की प्रतिपूर्ति )

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक				प्राप्ति का दिनांक

1- प्रदर्शनी/एक्सपो का नाम	
2- स्थान	
3- प्रस्तावित आयोजन अवधि	
4- आयोजक का नाम	
5- प्रतिभागी संस्था/बुनकर का नाम	
6- पता	
7- पिता का नाम	
8- आधार नम्बर	
9- ई-मेल आई डी एवं मोबाईल नम्बर	
10- प्रतिभागी समिति/संस्था का पंजीकरण संख्या	
11- इण्डियन हैण्डलूम ब्रान्ड/हैण्डलूम मार्क पंजीकरण संख्या व दिनांक	
12- वॉल्वित स्ताल एरिया (वर्गफीट में)	
13-हथकरघा वस्त्र उत्पाद का नाम जिसे बिक्री हेतु प्रदर्शनी में रखा जायेगा।	
14- अन्य विवरण यदि कोई हो।	

15- बैंक खाते का विवरण-

क्र०सं०	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम व पता	शाखा का नाम	IFSC CODE

**नोट-**लाभार्थी के ठहरने एवं भोजन पर हुए व्यय का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

**घोषणा :-**उपरोक्तानुसार प्रस्तुत बिल वाउचर/कैश मेमो मेरी जानकारी में सही है। मेरे द्वारा यात्रा की गयी है। कोई तथ्य असत्य होने की दशा में प्रतिपूर्ति की धनराशि की वसूली की जा सकती है।

प्रतिभागी का नाम एवं हस्ताक्षर

**प्रारूप-15 ब**

**उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र  
( विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता व्यय की प्रतिपूर्ति)**

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

1. प्रतिभागी का नाम-.....
2. पिता का नाम-.....
3. पता-.....
4. आधार नं0.....
5. ईमेल आईडी एवं मो0.....
6. पासपोर्ट नं0.....
7. विदेश में आयोजित प्रदर्शनी/फेयर का नाम व स्थान (देश का नाम सहित) जिसमें भाग लिया गया है .....
8. आयोजन की अवधि- (दिनांक.....से दिनांक.....तक
9. बैंक खाते का विवरण:-

क्रमांक	खाता धारक का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम व शाखा	बैंक शाखा का पता	आई0एफ0एस0सी0 कोड

**दावा प्रारूप**

क्र0	मद	दर	प्रतिबन्ध
1	स्थानीय जनपद से एयरपोर्ट तक आने-जाने का ए0सी0 द्वितीय श्रेणी का किराया।	वास्तविक व्यय रू0 में	वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत
2	हथकरघा वस्त्रों को एयरपोर्ट तक लाने का भाड़ा	वास्तविक व्यय रू0 में	वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत
3	हथकरघा वस्त्रों को ले जाने एवं शेष बचे वस्त्रों को वापस लाने का वायुयान का भाड़ा	वास्तविक व्यय रू0 में	वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत
4	मेला/प्रदर्शनी वाले देश में आने-जाने का वायुयान का भाड़ा (एक व्यक्ति का इकोनॉमी क्लास)	वास्तविक व्यय रू0 में	वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत
5	मेला/प्रदर्शनी में स्टाल/विद्युत/फर्नीचर का किराया/पंजीकरण शुल्क	वास्तविक व्यय रू0 में	वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत
	<b>योग</b>		

प्रतिपूर्ति हेतु कुल धनराशि (अंको में).....

शब्दों में.....

**नोट-लाभार्थी के ठहरने एवं भोजन पर हुए व्यय का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।**

**घोषण :-**उपरोक्तानुसार प्रस्तुत बिल वाउचर/कैश मेमो मेरी जानकारी में सही है। मेरे द्वारा यात्रा की गयी है। कोई तथ्य असत्य होने की दशा में प्रतिपूर्ति की धनराशि की वसूली की जा सकती है।

प्रतिभागी का नाम एवं हस्ताक्षर

**प्रारूप-16 (अ)**

**उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु अग्रसारण-पत्र  
(कताई-बुनाई विषय के छात्रों को छात्रवृत्ति सम्बन्धी आवेदन-पत्रों का अग्रसारण)**

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक				प्राप्ति का दिनांक

सेवा में,

सहायक आयुक्त,  
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,  
परिक्षेत्र .....

महोदय,

हमारे विद्यालय में कताई-बुनाई विषय से 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत/उत्तीर्ण छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित प्रारूप-13 पर आवेदन किया गया है। छात्रों के आवेदन-पत्र संस्तुति सहित अग्रसारित किये जा रहे हैं।

क्र०सं०	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	कालेज का नाम एवं पता		1. कालेज के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... ) 2. कालेज के प्रधानाचार्य/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण का साक्ष्य (आधार कार्ड सहित) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... ) 3. निर्धारित प्रारूप-13 पर आवेदन-पत्र 4. प्रारूप-13 के आवेदन-पत्रों की सूची निर्धारित प्रारूप-16 ब पर (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... )
2	पंजीकरण संख्या व दिनांक		
3	कालेज को मान्यता प्रदान करने वाले बोर्ड का नाम		
4	वित्तपोषण के परिप्रेक्ष्य में कालेज की स्थिति		
5	कालेज के प्रधानाचार्य/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण		
5(i)	नाम		
5(ii)	पदनाम		
5(iii)	मोबाइल नं०		
5(iv)	ई-मेल आई० डी०		
5(v)	आधार नं०		
6	प्रारूप-13 पर आवेदन करने वाले छात्रों की कुल संख्या		
7	छात्रवृत्ति हेतु अनुदान की धनराशि की गणना		

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि अग्रसारित किये जा रहे आवेदन-पत्र इस विद्यालय में कताई-बुनाई विषय के संस्थागत छात्रों के हैं।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल ..... पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित



प्रारूप-16 ब

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के अन्तर्गत वित्तीय सुविधा (कताई-बुनाई विषय के छात्रों को छात्रवृत्ति)  
हेतु अग्रसारित किये जाने वाले आवेदन-पत्रों की सूची

कालेज का नाम एवं पता .....

क्र०	छात्र का नाम	पिता का नाम	आधार नं०	मोबाइल नं०	बैंक खाते का विवरण					आवेदित धनराशि
					खाता संख्या	खाताधारक का नाम	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	आई० एफ० एस०सी० कोड	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								योग		

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

**प्रारूप-17 (अ)**

**उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु अग्रसारण-पत्र  
(हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मियों को मानदेय सम्बन्धी आवेदन-पत्रों का अग्रसारण)**

(यह अग्रसारण पत्र उन्ही समितियों द्वारा अग्रसारित किया जाये, जिनका संचालक मण्डल वैध हो तथा समस्त अभिलेख पूर्ण हों)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक				प्राप्ति का दिनांक

सेवा में,

सहायक आयुक्त,  
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,  
परिक्षेत्र .....

महोदय,

हमारी समिति के सदस्य बुनकरों के सहायक कर्मियों द्वारा उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित "हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मियों को मानदेय" हेतु निर्धारित प्रारूप-14 पर आवेदन किया गया है। सहायक कर्मियों के आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों का समिति के अभिलेखों से मिलान करने के उपरान्त उचित पाये गये आवेदन पत्र संस्तुति सहित अग्रसारित किये जा रहे हैं।

क्र०सं०	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	समिति का नाम एवं पता		1. समिति के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... ) 2. समिति के समापति/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण का साक्ष्य (आधार कार्ड सहित) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... ) 3. निर्धारित प्रारूप-14 पर आवेदन-पत्र (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... ) 4. प्रारूप-14 के आवेदन-पत्रों की सूची निर्धारित प्रारूप-17 ब पर (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... ) 5. समिति की आडिटेड बैलेंसशीट (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ..... )
2	पंजीकरण संख्या व दिनांक		
3	कार्यशील सदस्य बुनकरों की संख्या		
4	सदस्य बुनकरों के सहायक कर्मियों की संख्या		
5	समिति के समापति/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण		
5(i)	नाम		
5(ii)	पदनाम		
5(iii)	मोबाइल नं०		
5(iv)	ई-मेल आई० डी०		
5(v)	आधार नं०		
	समिति का संचालक मण्डल		
6	प्रारूप-14 पर आवेदन करने वाले सहायक कर्मियों की कुल संख्या		
7	मानदेय हेतु अनुदान की कुल धनराशि (रु०)		
8	समिति के संचालक मण्डल का निर्वाचन दिनांक		

**घोषणा**

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि अग्रसारित किये जा रहे आवेदन-पत्र इस समिति में कार्यरत बुनकरों के सहायक कर्मियों के हैं।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल ..... पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

प्रारूप-17 (ब)

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के अन्तर्गत वित्तीय सुविधा (सहायक कर्मियों को मानदेय)  
हेतु अग्रसारित किये जाने वाले आवेदन-पत्रों की सूची

समिति का नाम एवं पता .....

समिति का फंजीकरण संख्या .....

क0	सहायक कर्मों का नाम	सम्बन्धित बुनकर का नाम	आधार नं0	मोबाइल नं0	आयु	बैंक खाते का विवरण					आवेदित धनराशि
						खाता संख्या	खाताधारक का नाम	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	आई0 एफ0 एस0सी0 कोड	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								योग			

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित



तालिका-7  
परिक्षेत्रीय कार्यालय के पतों का विवरण

क्रमांक	परिक्षेत्रीय अधिकारी का नाम व पता	परिक्षेत्रीय
1.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), गोरखपुर	सी0-11-12 औद्योगिक आस्थान, गोरखनाथ, गोरखपुर-273001
2.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), वाराणसी	स्थ यात्रा चौराहा, वाराणसी 221008
3.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), मऊ	निजामुद्दीन पुरा, मऊ, 275101
4.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), फैजाबाद	धारा रोड, फैजाबाद 224001
5.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), इलाहाबाद	67 लाउदर रोड (इण्डियन प्रेस के सामने) इलाहाबाद 211001
6.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), लखनऊ	जिला पंचायत भवन, द्वितीय तल, राजा नवाब अली रोड, लखनऊ 226001
7.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), कानपुर	कबीर भवन जी0टी0 रोड, कानपुर 208001
8.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), झाँसी	198 सी0-पी0 मिशन कम्पाउण्ड, झाँसी 284001
9.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), इटावा	डी0सी0बी0 बिल्डिंग, नौरंगाबाद, इटावा 206001
10.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), अलीगढ़	न्वाब छतरी कम्पाउण्ड रसल गंज, अलीगढ़ 202001
11.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), बरेली	सिटी रेलवे स्टेशन रोड, बरेली, 243001
12.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), मुरादाबाद	विकास भवन, काठ रोड, मुरादाबाद 244001
13.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), मेरठ	थापर नगर, गली नं0 5, मेरठ 250001

तालिका-8

परिक्षेत्रों एवं उनके अन्तर्गत जनपदों की सूची (कोड सहित)

S.No.	Name of Region	Region Code	Name of District	District Code
1	Aligarh	01		
			Agra	01
			Aligarh	02
			Etah	03
			Hathras	04
			Kasganj	05
			Mathura	06
2	Allahabad	02		
			Allahabad	07
			Banda	08
			Chitrakoot	09
			Fatehpur	10
			Kaushambi	11
			Pratapgrah	12
3	Bareilly	03		
			Bareilly	13
			Budaun	14
			Pilibhit	15
			Shahjhanapur	16
4	Etawah	04		
			Auraiya	17
			Etawah	18
			Farukhabad	19
			Firozabad	20
			Kannauj	21
			Mainpuri	22
5	Faizabad	05		
			Ambedkarnagar	23
			Amethi	24
			Bahraich	25
			Balrampur	26
			Faizabad	27
			Gonda	28
			Shravasti	29
			Sultanpur	30
6	Gorakhpur	06		
			Basti	31
			Deoria	32
			Gorakhpur	33
			Kushinagar	34
			Maharajganj	35
			Sant Kabir Nagar	36
			Siddharthnagar	37
7	Jhansi	07		
			Hamirpur	38

			Jalaun	39
			Jhansi	40
			Lalitpur	41
			Mahoba	42
8	Kanpur	08		
			Kanpur Dehat	43
			Kanpur Nagar	44
			Unnao	45
9	Lucknow	09		
			Barabanki	46
			Hardoi	47
			Lakhimpur Khiri	48
			Lucknow	49
			Raebareli	50
			Sitapur	51
10	Mau	10		
			Azamgarh	52
			Balia	53
			Ghazipur	54
			Mau	55
11	Meerut	11		
			Baghpat	56
			Bulandshahar	57
			Gautambudh nagar	58
			Ghaziabad	59
			Hapur	60
			Meerut	61
			Muzaffarnagar	62
			Saharanpur	63
			Shamli	64
12	Moradabad	12		
			Bijnor	65
			J P Nagar (Amroha)	66
			Moradabad	67
			Rampur	68
			Sambhal	69
13	Varanasi	13		
			Chandauli	70
			Jaunpur	71
			Mirzapur	72
			Sant Ravidas Nagar Bhadohi	73
			Sonbhadra	74
			Varanasi	75

तालिका-9

उ०प्र० के आंचलिक क्षेत्रवार जनपदों की सूची

पूर्वांचल	बुन्देलखण्ड	मध्यांचल	पश्चिमांचल
फैजाबाद मण्डल	झांसी मण्डल	कानपुर मण्डल	आगरा मण्डल
1.फैजाबाद	1.झांसी	1.कानपुर नगर	1.आगरा
2.अम्बेडकर नगर	2.जालौन	2.कानपुर देहात (रमाबाईनगर)	2.फिरोजाबाद
3.बाराबंकी	3.ललितपुर	3.इटावा	3.मैनपुरी
4.सुल्तानपुर	चित्रकूट मण्डल	4.औरैया	4.मथुरा
5.अमेठी	4.बांदा	5.फर्रुखाबाद	अलीगढ़ मण्डल
गोरखपुर मण्डल	5.चित्रकूट	6.कन्नौज	5.अलीगढ़
6.गोरखपुर	6.हमीरपुर	लखनऊ मण्डल	6.हाथरस
7.देवरिया	7.महोबा	7.लखनऊ	7.कासगंज
8.महाराजगंज		8.हरदोई	8.एटा
9.कुशीनगर		9.लखीमपुर खीरी	मुरादाबाद मण्डल
इलाहाबाद मण्डल		10.रायबरेली	9.मुरादाबाद
10.इलाहाबाद		11.सीतापुर	10.बिजनौर
11.कौशाम्बी		12.उन्नाव	11.सम्मल
12.फतेहपुर			12.रामपुर
13.प्रतापगढ़			13.अमरोहा
वाराणसी मण्डल			मेरठ मण्डल
14.वाराणसी			14.मेरठ
15.चन्दौली			15.बुन्देलखण्ड
16.जौनपुर			16.हापुड़
17.गाजीपुर			(पंचशीलनगर)
मिर्जापुर मण्डल			17.बागपत
18.मिर्जापुर			18.गाजियाबाद
19.सन्तरविदासनगर (मदोही)			19.गौतमबुद्धनगर
20.सोनभद्र			सहारनपुर मण्डल
आजमगढ़ मण्डल			20.सहारनपुर
21.आजमगढ़			21.मुजफ्फरनगर
22.बलिया			22.शामली
23.मऊ			बरेली मण्डल
देवीपाटन मण्डल			23.बरेली
24.गोण्डा			24.बदायूं
25.बहराइच			25.पीलीभीत
26.बलरामपुर			26.शाहजहांपुर
27.श्रावस्ती			
बस्ती मण्डल			
28.बस्ती			
29.सन्तकबीरनगर			
30.सिद्धार्थनगर			